16.31 hrs.

RESOLUTION RE: MEASURES TO PROTECT

THE INTERESTS OF WORKERS

Title: Further discussion on the resolution regarding measures to proect interests of workers moved by Shri Basudeb Acharia on 1 August, 2003 (Continued – concluded) (Resolution withdrawn).

MR. CHAIRMAN: We will now take up further discussion on the Resolution moved by Shri Basudeb Acharia on the 1st August, 2003 regarding measures to protect the interests of workers.

Now, Prof. Rasa Singh Rawat to speak.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं श्री बासुदेव आचार्य जी द्वारा 1 अगस्त, 2003 को पेश किए गए संकल्प पर लगभग दो सप्ताह पूर्व अपने विचार व्यक्त कर रहा था। उस समय भी मैंने कहा था कि यद्यपि यह शब्दों की संरचना की दृटि से काफी लुभावना संकल्प प्रतीत होता है, तथापि इसके पीछे जो भावना है, वह केवलमात्र सरकार पर दोाारोपण करने की है।

महोदय, जहां तक श्रमिकों के कल्याण की बात है, हम सब चाहते हैं और एन.डी.ए. सरकार चाहती है कि श्रमिकों का कल्याण हो, उन्हें संरक्षण प्राप्त हो और साथ-साथ जो सुविधाएं हैं, वे सब उन्हें प्राप्त हों। उस समय आचार्य जी ने ऐसा नक्शा खींचा था कि एन.डी.ए. की सरकार श्रमिकों के लिए कुछ नहीं कर रही है। वास्तव में यह ठीक है कि आज सार्वजनिक रूप से श्रमिक संगठनों के कारण, बार-बार हड़ताल के कारण जो स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण बंगाल, जो औद्योगीकरण की दृटि से सबसे आगे था, अग्रणी राज्य था, वहां से बड़े-बड़े उद्योगपति, अपने-अपने उद्योगधंधे दूसरे राज्यों में ले जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि बंगाल और केरल में कोई पूंजी निवेश नहीं करना चाहता। इसी श्रमिक समस्या के कारण मान्यवर कहा गया था कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि तार ही टूट जाएं और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि सुर ही बजना बन्द हो जाए। ठीक इसी प्रकार श्रमिकों को संरक्षण प्राप्त हो, लेकिन उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए।

सभापति महोदय, डब्ल्यू.टी.ओ. के ऊपर, पहले जो सरकार थी, उसने सहमति दी, हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के बाद हमारी ऐसी स्थित बन गई कि हमें इसे स्वीकार करना पड़ा। पहले की सरकार ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की नीति को स्वीकार किया और जब इन सब बातों को अपना लिया तो अब उसे अपनाने के बाद, वे ही लोग कह रहे हैं कि यह भी और वह भी - ये सब बातें कैसे चलेंगी ? आज हम देखते हैं कि यद्यपि चीन की चीजें विश्व के बाजार में सस्ती मिल रही हैं। इसका कारण यह है कि चीन में श्रम सस्ता है और वहां के नियम बहुत सरल हैं। हमारे यहां नियम बहुत जटिल हैं। यही कारण है कि चीन में तैयार किया हुआ माल हमारे यहां तैयार किए माल से काफी सस्ता होता है। इसीलिए विश्व बाजार में चीन का माल सस्ता है। हमें भी विश्व बाजार में स्थान प्राप्त करने के लिए इस दृटि से सोचना और देखना पड़ेगा। अतः श्रमिकों को संरक्षण देने के साथ-साथ, हमारे कार्य करने में वे कितना सहयोग देते हैं, वे कितने उपयोगी सिद्ध होते हैं, उनसे कितनी उत्पादन में वृद्धि होती है, इन सभी चीजों को देखते हुए श्रमिक नीतियां ऐसी बनानी होंगी जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके।

महोदय, वर्तमान समय में हमारे श्रमिक कानून कुछ जटिल हैं, लेकिन सरकार उनका सरलीकरण करने का प्रयास कर रही है। जो असंगठित श्रमिकों की बात कही गई है, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर, चूना भट्टा में काम करने वाले, अन्य फुटकर रोजगार में लगे मजदूर, वे सब असंगठित हैं। उनका शोाण हो रहा है।

महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि देश में कुल मजदूरों की संख्या 40 करोड़ है। इनमें से 2.8 करोड़ श्रमिक ऐसे हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है। इनमें भी 1.9 करोड़ श्रमिक वे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वे केन्द्र में हों या प्रदेश सरकार में हों। केवल 87 लाख संगठित श्रमिक निजी क्षेत्रों के अंदर लगे हुए हैं जिनके ऊपर हमारे सब कानून लागू होते हैं। उनको इन कानूनों से सभी प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। वे लोग ही इन कानूनों का लाभ उठा रहे हैं। इनमें प्रॉवीडेंट फंड, बोनस, छुट्टियों का नकदीकरण, ई.एस.आई. की सुविधा, ये सारी की सारी सुविधाएं केवल 87 लाख संगठित श्रमिकों को, जो निजी क्षेत्र में हैं, उन्हें मिल रही हैं।सारी सुविधाएं केवल इन 87 लाख संगठित श्रमिक, जो निजी क्षेत्र में हैं या 1.9 करोड़ जो सरकारी रोजगार में हैं, वे ही उठा रहे हैं, फिर भी हमारे श्रम कानून केवल उन्हीं लोगों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के अन्दर, जैसा मैंने कहा कि लगभग 35 करोड़ लोग हैं। जहां संगठित श्रमिकों को पांच हजार से दस हजार रुपये तक की तनख्वाह प्रतिमाह मिलती है, वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक हजार रुपये, 1500 रुपये भी मुश्किल से मिलते हैं, नहीं तो इससे भी कम पैसा मिलता है, उन्हें मुश्किल से तनख्वाह दी जाती है, उनका वेतन कम, सुविधाएं कम, भत्ते बिल्कुल नहीं, शोाण अलग, कई दफा तनख्वाह भी नहीं मिलती, उनका कोई हिसाब-किताब नहीं, इस तरह उन बेचारों की बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं एन.डी.ए. सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने पिछले दिनों जो भवन निर्माण में लगे हुए श्रमिक हैं और कृाि क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों के लिए कई कानून बनाये हैं। जो पुराने कानून बने हुए हैं, उनमें भी सरकार संशोधन कर रही है और उनका सरलीकरण करने का प्रयास कर रही है।

एक तरफ ट्रेड यूनियन का जो कानून है, जिसमें बाहर के नेता लोग नेतागिरी करते थे, उनका उत्पादन से कोई लेना-देना नहीं था और जब चाहे तब अपना झंडा ऊंचा करके हड़ताल करने के लिए श्रमिकों को उकसाते थे, ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्दर भी संशोधन करने का सरकार प्रयास कर रही है। मैं समझता हूं कि जहां श्रमिकों को सही बात के लिए संरक्षण प्राप्त हो, वहीं पर जहां उत्पादन की बात है, वहां हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। राट्रीय उत्पादन की भी वृद्धि हो और राष्ट्र आगे बढ़ सके, इसके लिए भी सब का प्रयास होना चाहिए। देश में पूंजी की कमी है और श्रम का बाहुल्य है तो पूंजी की कमी कैसे दूर की जाये और जो श्रम बाहुल्य है, उसका पूरा उपयोग कैसे हो, इन दोंनों के अन्दर समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। अगर हमें दोनों में समन्वय स्थापित करना है तो फिर हमें हड़तालों से दूर रहना पड़ेगा।

अभी सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया, हालांकि वह निर्णय अति के ऊपर चला गया है, अति सर्वत्र वर्जयते, excess of everything is bad. लेकिन न्यायोचित हकों के लिए अगर श्रमिक मांग करते हैं तो मांग करने का उनको अधिकार होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक हड़तालों पर जाना और चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हों, यह जो नारा लगाते हैं, यह देश के लिए घातक है। होना तो यह चाहिए कि राट्रहित में काम करेंगे और काम के बदले पूरे दाम लेंगे, तब तो ठीक है। इसलिए मैं समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने हड़ताल पर जो पाबन्दी लगाई है, वह अति देखते हुए ही लगाई है। इसमें श्रमिक संगठन और उनको संरक्षण प्राप्त करने वाले जो विभिन्न राजनैतिक दल हैं, वे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और अपने-अपने अधीन या अपने-अपने संरक्षण या विचारधारा के अनुसार जो कार्य करने वाले श्रमिक संगठन हैं, उनको प्रेरणा देंगे कि वे श्रमिकों के हित के लिए संघर्ा करें, श्रमिकों के हकों के लिए लड़ें, श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास करें, वहीं पर राट्र का उत्पादन बढ़ाने के लिए, राट्र की बहबूदी के लिए भी पूरा प्रयास करें, यह उनका प्रयास होना चाहिए।

इस बिल के अन्दर माननीय आचार्य जी ने सामाजिक सुरक्षा की बात कही है, सामाजिक सुरक्षा में कमी नहीं आनी चाहिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा। जो असंगठित श्रमिक हैं, उनके लिए भवियनिधि योजना लागू की जाये। उनकी ब्याज दर पिछले दिनों वास्तव में बहुत कम हो गई थी। मैं कई एडेड संस्थाओं के संगठनों का पदाधिकारी हूं, मुझे जानकारी प्राप्त है कि पहले उनके प्रोविडेंट फंड पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता था, लेकिन अब उनका ब्याज एकदम नौ प्रतिशत हो

गया है, जबकि सेवानिवृत्ति के बाद उनका एकमात्र सहारा प्रोविडेंट फंड होता है, उन्हें कोई पेंशन वगैरह भी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए प्रोविडेंट फंड के अन्दर जो ब्याज में कमी की गई है, सरकार से प्रार्थना है कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का कट करे। श्रमिकों का जो बकाया है, उसका तो अवश्य भुगतान होना चाहिए, चाहे निजी क्षेत्र में हो या अन्य जगह हो। जहां शोाण हो रहा हो, उसे रोकने का प्रयास होना चाहिए और ई.एस.आई. हॉस्पिटल्स को मजबूत बनाना चाहिए।

बीड़ी उद्योग में जो गन्दी बस्तियां हैं, समाज के अन्दर झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं, लेकिन वहां पर ऐसी अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां होती हैं कि जिनमें उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, उन्हें टी.बी. हो जाती है, स्लम के पास गन्दी नालियां बह रही हैं, वहां बैठकर उनके बच्चे और बड़े लोग सब बीड़ी बनाने का काम करते हैं। बीड़ी उद्योग की स्थिति भी बड़ी दयनीय है, उनकी भी सुरक्षा के बारे में काम होना चाहिए, उन्हें हॉस्पिटल की, ई.एस.आई. की सुविधा मिले और उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा प्राप्त हो।

छात्रवृत्तियां प्राप्त हों, इलाज की सुविधा हो तथा उनको प्रॉविडेंट फंड मिले। बीड़ी उद्योगपति करोड़पति बन जाते हैं लेकिन बेचारे मजदूर, मजदूर ही रह जाते हैं। हमें उनकी तरफ विशे ध्यान देना चाहिए। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले, भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी कानूनों का निर्माण यह सरकार कर रही है। एक राट्रीय श्रम आयोग भी बनाया गया है। इस बारे में आयोग निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में अपनी अभिशंसाएं प्रस्तुत करेगा। हम आई.एल.ओ. यानी इंटरनैशनल लेबर आर्गनाइजेशन के भी सदस्य हैं। सारे विश्व में इस प्रकार के जो कानून बने हुए हैं, उनसे हम बंधे हुए हैं। इसलिए श्रमिकों का कल्याण हो, उत्पादन में वृद्धि हो, राट्र का हितवर्धन हो और ये सब कुछ हो जाता है तो ठीक है अन्यथा केवल हड़तालों को प्रोत्साहित करना राट्र हित में उपयुक्त नहीं है।

इन्ही शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Chairman, Sir, I strongly support the Resolution moved by Shri Basu Deb Acharia. Now, the day has also an importance. On the 15th of August, exactly 56 years ago, we won the freedom and on that day I had the privilege of raising the National Flag in my village at dead of night, at 12 o'clock.

Sir, before independence, we were fighting against the British slavery and that was a fight which lasted for centuries. At last we won the freedom. The British had gone out of the country. Now, after 56 years, where do we stand? Due to the functioning of the Constitution, a situation has come where the workers in this country have become slaves.

In the context of the Resolution, I would like to refer to a recent judgement of the Supreme Court. At the time when this Resolution was moved, the situation was different, but subsequently the situation has changed. The ruling by the Supreme Court is definitely a slur on the independence movement. It is an attack on the human rights also. Before I deal with the situation, I would like to submit that our Judiciary has done much service to the cause of our Constitution. They have given good interpretations. They have taken bold stands during the Emergency. That is also good. But now the situation is such that there is a continuous attack on workers' rights, not only by the Judiciary but also by the Executive.

The Resolution is crystal clear about the encroachment on workers' rights by the Executive in one way or another. The recent attack was on the interest rate on the Provident Fund by way of its reduction. The Government employees, after 30 years of service, get an amount by way of Provident Fund. They put it either in the Cooperative Bank or in the Taluk Treasury and they get an interest. That becomes an additional source of income for these poor people who have spent much of their time in the service of this nation and that is a boon to them. But this Government took the drastic decision of reducing the interest given to the workers, who deposit their Provident Fund amount in the bank, from 12 per cent to 6 per cent.Is there any justification? I would ask the Government: "What compelled you to reduce the interest given to the poor employees who had deposited the amounts in the Treasury as fixed deposits?"

So also, the basic right of the worker is for collective bargaining. It is not a new thing. In a recent judgement of the Supreme Court, it has been stated that there is no moral or legal right for the workers to strike. It is not a correct statement. With due respect to the Supreme Court, I challenge that statement.

We have passed the Industrial Disputes Act, 1948. That statute is still in force. As per Section 21 of that Act, the workers have a right to strike work after giving a notice of 14 days. That right is there. That is a decision of this House. This House passed the Industrial Disputes Act. There is a provision in that statute that the workers have a right to bargain and a right to strike work. Deploring that right given to the workers by the Industrial Disputes Act, the Supreme Court Judges, without understanding the provisions of that Act, have unequivocally declared that the workers have no legal right to strike work. From where did they get this information? The workers have a right. They are not slaves. They cannot be treated as slaves in this country.

Now there is a consistent attack on the employees by the Government of Tamil Nadu. Recently, it was reported in the Press that they had issued the Essential Services Maintenance Ordinance. By that Ordinance, the employees' right to work has been withdrawn. All their allowances have been withdrawn. Even the recognition of their Unions has been withdrawn − all arbitrarily − by the provisions of the statutory Ordinance issued by the Government of Tamil Nadu. So, both on the Executive side and the Judicial side, there is a consistent attack on the rights of

workers.

16.47 hrs. (Shri Basu Deb Acharia *in the Chair*)

The workers have obtained these rights through struggles during the Independence period and subsequently through struggles and legal rights. This is not a boon. This is not a concession by the Executive or the Judiciary. The workers have earned those rights by their collective strength and collective bargaining. No power on earth can resist or deny these fundamental rights which the workers have won through struggles.

Now what I would simply ask the Supreme Court Judges is this. Would they get their conscience pricked when I put them the question that crores of cases are pending before the Courts? In the High Courts, in the Sessions Courts and in the Mofussil Courts, thousands and lakhs of cases are pending even now. The poor citizen is put to trial. He is not getting justice. They have not taken decisions on these cases which are pending before them. Where is their conscience? Now when the workers' strike is there, when poor people are put to struggle, they have been taken to task. This is the argument of the Supreme Court. Now I ask the Judges of the Supreme Court: "Where is your conscience when you are not taking decisions on lakhs of petitions before you? All these involve citizens' rights. All these involve the rights of the men in the streets and you are sitting there as Judges for deciding these cases. But those cases are pending before you for decades."

Now I have given an answer by collecting data from all the Courts. I have the data available with me. According to those data, the cases are pending for a period ranging from 25 to 35 years before these Judges. They have not taken any decision.They are not worried about that. The poor citizen is put to trial. They are not worried about that. But they are worried that the workers resort to strike. They will find that the poor people are put to task because of the workers' strike. But, they are forgetting that the workers have a right to strike and it is a part and parcel of our democratic tradition, democratic procedure; and that they will have to take some risk. When the workers resort to strike, some people will be affected. That is part and parcel of our democratic functioning. Are the Supreme Court Judges not living in this Universe? Are they born from Heavens?

MR. CHAIRMAN : Shri Radhakrishnan, the time allotted for this Resolution is two hours. That has been expired.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I am also aware of it.

MR. CHAIRMAN: Now we will have to extend it by one hour. Is it the sense of the House that the time should be extended by one hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes

MR. CHAIRMAN: All right, you can continue.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Now, I would like the Central Government to bring in a legislation giving the workers the right to strike or giving the workers the right of collective bargaining. They must be given that right. They must be provided that right. On that basis I move an amendment to this Resolution that not only social securities but even the basic right of the workers to strike work, the basic right of the worker to go on strike as a collective means of bargaining should also be included. So, I move an amendment to your Resolution. I move an amendment to the effect that the basic right to strike work should also be included, and you should bring in a legislation to get over this fantastic ruling of the Supreme Court which is unjustifiable and a black day in the human history that these people have given. It is really ridiculous when we think of civilised human beings. In the civilised world, even in the international conventions, the workers have a right to work, a right to strike. They have given the right or the power of collective bargaining. It is there in almost all the civilisations. But, here, we have come acrossed and found that the workers do not have any right to strike....(*Interruptions*) They would say the workers do not have right to strike. They are slaves. They will have to live as slaves. This Act is utter disregard of all the labour Conventions which have said that the right to work is a fundamental right. Right to strike is a collective right, which has been taken away by the Supreme Court.

So, I would request, through you, the Central Government to bring in a legislation urgently so that the workers will have the right of collective bargaining to redress their grievances. We cannot bring in slavery. We are a brave people who fought against the British domination and British slavery. Now we have to fight against the Judiciary for bringing in a decision which will go against the Fundamental Rights of the workers.

MR. CHAIRMAN: Shri Radhakrishnan, there are some expressions against the Supreme Court judgement. There are some expressions. We will go through it and we will see if it is unparliamentary or not. We will go through it.

SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): He is criticising the judgement only and not the Judges.

PROF. RASA SINGH RAWAT :Please expunge it.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Judges cal also be criticised. The criticism must be fair. I am not adducing any motive against any particular Judge. I can criticise a Judge. I am not adducing any motive or ill-will against any particular judge.

MR. CHAIRMAN: All right.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN :I say in general case we can criticise the Judge. We can criticise the judgement. I am a lawyer and I know the position. That way, I am criticising the judgement of the Supreme Court.

I have the right to criticise them without adducing any malice against the judges. Malice should not be there. I am not adducing any malice or ill-will against any particular judge.

Now, definitely the provident fund interest rate of 12 per cent must be restored for the unorganised workers. Then again, regarding the ceiling on bonus payment, there is no justification for imposing a ceiling on bonus. That also has to be withdrawn in the interest of the workers. Then, there is a tendency on the part of the employers as well as the Government to withdraw the payment of statutory dues. There are statutory dues which are the result of a legislation passed by this House because the workers were demanding them and there were struggles by the workers for obtaining those statutory dues which you should not take away. So, I request the Government to restore all the statutory dues.

Then, about the agricultural workers, in Kerala we have already introduced a minimum wage for the agricultural workers. There should be a comprehensive legislation for introducing minimum wages for the agricultural workers. The Central Government should take the initiative. Then, concerning the contractual workers, now they are the order of the day, but they must have the elementary rights which the workers are entitled to. But those elementary rights are not provided in any statute. So, I would request the Central Government to bring in a comprehensive legislation giving the elementary, basic rights to the contractual workers. This is another item.

Then, about the unorganised workers, the provident fund scheme should also include them and there must be a provision so that the Government should also contribute to their provident fund. Now, in all these cases, the intervention of the Central Government is sought for, that is, firstly to tide over the Supreme Court judgement and secondly to restore all the rights that have been enumerated in the Resolution. So, I hope that the Government will give a serious thought to all these demands, bring in a comprehensive legislation and bring the labour law up-to-date. With these words, I support the Resolution.

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने श्रमिकों के हितों के बारे में जो संकल्प सदन में पेश किया है, इसमें लगभग आठ बिंदुओं पर सुधार करने की भावना व्यक्त की गई है। वास्तव में जो बिन्दु यहां दर्शाए गए हैं, उन सभी पर किसी न किसी प्रकार से आज भी कानूनी प्रावधान हैं। परंतु उनका अमल ठीक से नहीं होने के कारण जितने भी बिंदु हैं, उनमें जो-जो विय हैं, उनमें कहीं न कहीं गड़बड़ी है, जिसे ठीक करने की आवश्यकता महसूस होती है इसलिए भावनात्मक रूप से मैं आपके इस संकल्प का समर्थन करता हूं। जैसा आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसके सम्बन्ध में कोई उपाय किया जाना चाहिए। मैं भी महसूस करता हूं कि उपाय करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृटि से जिस-जिस संस्थान में या क्षेत्र में श्रमिक काम करते हैं, उन सभी के लिए योजनाएं, नियम और कानून बने हुए हैं, लेकिन उन पर ठीक से अमल नहीं हो पा रहा है।

17.00 hrs.

विशेकर असंगठित श्रमिकों के क्षेत्र में जो भविय-निधि का कानून है वह लागू नहीं हो पा रहा है और उसके अभाव में असंगठित श्रमिक कभी 30 दिन, कभी 10 दिन काम करते हैं और कभी उनको एक दिन भी काम नहीं मिलता है। अगर वे काम करते भी हैं तो उनके ऊपर ठीक से श्रम-कानून लागू नहीं होते हैं। यह भी चिंता का िवाय है और इस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। नियमों में स्पट प्रावधान है कि जो श्रमिक 30 दिन काम करता है वह भविय-निधि का पात्र हो जाता है लेकिन मालिक लोग बीच में ब्रेक कर देते हैं और 30 दिन काम के पूरा नहीं होने देते। इस तरह से जो कानून में खामियां हैं और अगर खामियां नहीं भी हैं तो मालिक लोग काम का ब्रेक दिखाकर गड़बड़ी करने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं जिस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

फिर आपने भविय-निधि पर ब्याज-दर वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक करने की दृटि से कम की हैं। श्रमिकों की भविय-निधि पर ब्याज-दर 12 प्रतिशत रखने की बात कही है, भावनात्मक तौर पर मैं भी हां कर सकता हूं लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि भारत का श्रमिक भी देश-हित को सर्वोपरि मानता है। यह बात अलग है कि कुछ संस्थाएं जो श्रमिक क्षेत्र में काम करती हैं, वह अपना ही हित चाहती हैं, श्रमिकों का हित नहीं चाहती हैं। भले ही वह संस्थान जिसमें वे श्रमिक काम कर रहे हैं बीमार होकर बंद ही हो जाएं। वह इसकी चिंता नहीं करती हैं। वे केवल अपना फायदा हो, यह सोच रखने वाली संस्थाएं हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे श्रम मंत्री माननीय साहिब सिंह वर्मा जी ने अलग से प्रावधान करके जो ब्याज दरें बैंकों ने निर्धारित की हैं उससे ज्यादा पैसा विभाग से देकर भविय निधि की ब्याज दर को उच्च ब्याज दर के रूप में आज भी रखा है। अपेक्षा तो यह की जाती है कि इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। लम्बे समय से भविय निधि उनकी कट रही है और रिटायरमेंट के बाद भविय निधि ही उसके भविय का आधार होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो काम लेने वाले मालिक हैं नियमानुसार उसको भी जितना पैसा श्रमिक का कटता है उसमें कुछ राशि मालिक को भी मिलानी पड़ती है लेकिन वे नहीं मिलाते हैं। ऐसे मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है लेकिन अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। इस बात को ठीक करने की आवश्यकता है। ब्याज दर तो केन्द्र सरकार ने बढ़ाकर दी है और वह इसके लिए बधाई की पात्र है लेकिन इस दिशा में कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। इस बात में मैं आपकी बात से भावनात्मक सहमति व्यक्त करता हूं।

बोनस भुगतान की बात आपने कही है। अधिकतम बोनस देने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्यतः 8.33 प्रतिशत बोनस देने का प्रावधान है लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि इससे ज्यादा बोनस नहीं देनी चाहिए। बिरला की फैक्टरी नागदा में है जहां मैं निवास करता हूं। वहां 33 प्रतिशत, 35 प्रतिशत, 38 प्रतिशत â€¦ (व्यवधान)

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): There is a limit for giving bonus. They cannot pay more than what has been stated.

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं जानता हूं जो आप कह रहे हैं। वह 8.33 प्रतिशत पर प्रतिबंध की बात है लेकिन ट्रेड-यूनियन और मालिक मिलकर प्रतिशत में वृद्धि करना चाहें तो कोई रोक नहीं हैं। उस संस्थान में मैं काम कर चुका हूं। वहां आपकी इंटक â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : There is a ceiling on bonus.

श्री थावरचन्द गेहलोत : 20 प्रतिशत है लेकिन ex-gratia के माध्यम से मालिक और ट्रेड-यूनियन सहमत हों तो कोई रोक-टोक नहीं है। मैं नागदा का उदाहरण देना चाहता हूं जहां 38-39 प्रतिशत बोनस मिलती है।इसी प्रकार वहां भारत कॉमर्स इन्डस्ट्री थी, उसमें भी मिलता था। एक्स-ग्रेशिया 30 प्रतिशत से ऊपर देते थे। बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं, जहां ज्यादा लाभ होता है और वे अपना कर्तव्य समझकर श्रमिकों को देते थे। अनलिमिटेज या 20 परसेंट कर दिया जाए, तो बहुत सारे संस्थान रुग्न होने की स्थिति में भी इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, तो वे संस्थान बन्द हो जायेंगे। मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि सारे देश में रुग्न उद्योगों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। आप नागदा आए थे, मैंने आपका भाण सुना था और यहां भी सुनता हूं, परन्तु जिस प्रकार की सोच इस देश के ट्रेड यूनियनों की है, उस सोच के कारण देश में औद्योगिक मंदी का वातावरण छाता जा रहा है। उद्योग बन्द होने की स्थिति में आ रहे हैं और बहुत सारे उद्योग तो बन्द हो गए हैं तथा जो कुछ बचे हुए हैं, वे लड़खड़ाते हुए बीमार मिल की तरह चल रहे हैं। 8.33 प्रतिशत या 20 प्रतिशत की बात अलग है, बहुत से संस्थानों में बोनस नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति हर जगह पैदा हो गई है। श्रमिक क्षेत्र में जो ट्रेड यूनियन्स काम करती हैं, उनको भी बैठकर इस बारे में विचार-विमर्श करना चाहिए। जैसे मैं भारतीय मजदूर संघ से संबंधित हूं। हम कहते हैं - " देशहित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम।" हम कर्तव्य और निठा से काम करते थे। हम मजदूर के हित में आन्दोलन करते थे, भाण देते थे और हड़ताल आदि करवाने में सहभागी भी होते थे। मैं वहां डैस्क वर्कर के रूप में काम करता था और मुझे साल में स्पेशल इन्क्रीमेंट भी मिलता था। इस प्रकार की सोच मजदूर क्षेत्रों में होना आवश्यक है। हम इन बिन्दुओं पर सरकार से ही अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वही अपेक्षा हम श्रमिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक संगठनों से भी करना चाहेंगे। श्रमिक संगठनों से बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार की लापरवाही होती है या कहीं कानून का दुरुपयोग होता है और उसने इस देश की अर्थ-व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। इस औद्योगिक मंदी के कारण हम देखते हैं कि कहीं भी श्रमिक आन्दोलन करने की स्थिति में नहीं है। मैं कहता हूं कि एटक हो या सीटू, इन संगठनों की सोच ने सारे देश की स्थिति को खराब किया है। आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लें या बिहार का उदाहरण लें या केरल का उदाहरण ले लें, मैं केरल भी गया हूं और आप भी गए होंगे। केरल में कालीकट में बिरला फैक्ट्री थी, पल्प डिवीजन था, स्टैपल फाइबर डिवीजन था। मैं सन् 1968 में नौकरी करने के लिए गया था, परन्तु हर साल हड़ताल होने के कारण उस डिवीजन में ताला लगवा दिया गया। ऐसे अनेक संस्थान हैं, जिनका देश की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता था, श्रमिकों के परिवार पलते थे, परन्तु हड़ताल होने के कारण बन्द हो गए हैं। इससे देश का वातावरण बिगड़ता था और इस प्रकार के वातावरण को ठीक करने का काम आपका और हमारा तथा श्रमिक संगठनों के क्षेत्रों में काम करने वाले संस्थान अर्थात् ट्रेड यूनियनों को करने की आवश्यकता है। उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए।

"श्रमिकों का बकाया" - मैं मानता हूं कि बकाया को प्राप्त करने का कानून है। बकाया नहीं रहना चाहिए। अगर किसी मालिक या संस्थान से पैसा लेना है, तो उसका भुगतान तुरन्त होना चाहिए। प्रोविडेंट फन्ड से पैसा लेने पर दस प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। पैसा उसका है और यह कहीं नहीं लिखा है कि वहां से पैसा लेने पर दस प्रतिशत कमीशन देना होगा। इसी प्रकार रिटायर होने पर प्रोवीडेंट फन्ड से पैसा लेने जाता है, तो उस पर कमीशन तय होता होगा। इस प्रकार की स्थिति को रोकना चाहिए और इसका उपाय करना चाहिए। कानून वर्तमान में पर्याप्त हैं, परन्तु इस प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के उपाय करने चाहिए। ट्रेड यूनियन्स, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बैठ कर इस बारे में व्यवस्था करनी चाहिए।

इसी प्रकार आपने स्वास्थ्य सेवा की बात कही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना की क्या स्थिति है। ये छुट्टी देने वाले संस्थान हो गए हैं। मजदूर भी वहां इलाज कराने के लिए नहीं जाता है। वह इलाज कहीं और कराता है। कर्मचारी डाक्टर के पास जाकर कहता है कि मुझे ड्युटी पर नहीं जाना है। डाक्टर एक स्लिप लिखकर देता है और साथ में सात दिन की छुट्टी भी दे देता है। डाक्टरों को पैसा देकर उससे ऊपर के अस्पताल में या किसी प्राइवेट अस्पताल में रैफर करा लेता है। कुल मिलाकर यह हो गया है कि सरकार का पैसा खर्च हो रहा है और मजदूरों का भी पैसा कटता है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना असफल हो रही है। नागदा, उज्जैन और इन्दौर में देख लो। चाहे किसी शहर में चले जाओ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस पर कभी विचार करना चाहिए। वहां स्वास्थ्य की दृटि से पर्याप्त साधन हैं, बड़े-बड़े अस्पताल हैं, अच्छे-अच्छे उपकरण हैं लेकिन वहां डाक्टर क्लर्क की ज़ॉब करने के आदी हो गए हैं। उनको मालूम है कि कोई श्रमिक आएगा, यदि उसे किसी शादी-ब्याह में जाना है या दूसरे किसी काम से छुट्टी पर जाना है तो वह छुट्टी लेगा, पेड लीव लेगा। इधर वह बीमारी की छुट्टी भी लेगा और उस छुट्टी के पैसे भी ले लेगा और उधर पेड लीव के पैसे भी ले लेगा। इस प्रकार की बेइमानी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये स्वास्थ्य सेवाएं जो श्रमिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के हितों के लिए हैं, वे सब चौपट हो गई हैं। इसमें कहीं न कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। देश के सभी राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिल्कुल इस स्थिति में आ गई हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। कभी न कभी कटु बोल कर श्रमिकों को समझाने की आवश्यकता है। एक तरफा शोण करो और संस्था को चौपट करो फिर आन्दोलन करो। मिल चालू होनी चाहिए, यह चालू होना चाहिए, वह चालू होना चाहिए, यह दे दो, वह दे दो, इस प्रकार का वातावरण सारे देश में पैदा हो रहा है। मैं महसूस करता हूं कि कई राज्य् ऐसे हैं जहां ट्रेड यूनियनों ने गलत तरीके अपनाए जिससे औद्योगिक संस्थान उठ कर जा रहे हैं और नए संस्थान खुल नहीं रहे हैं। यहां कोई आना नहीं चाहता। मुझे याद है कि कई राज्यं के मुख्यमंत्री विदेशों में गए और वहां जाकर पूंजी निवेश के लिए आग्रह किया और कहा कि हमारे यहां उद्योग खोलो। उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी हैं। यदि मेरी जानकारी गलत नहीं है तो ज्योति बसु जी वहां गए, केरल के मुख्यमंत्री गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी गए और वहां जाकर कहा कि हमारे क्षेत्र में उद्योग लगाओ। इस पर उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि आपके यहां की ट्रेड यूनियन झगड़ेबाजी करती है। उसके कारण हम यहां नहीं आएंगे। जब यहां डिसइनवैस्टमैंट की बात होती है तो बहुत जबर्दस्त विरोध होता है लेकिन विदेश में जाकर कहते हैं कि हमारे यहां उद्योग लगाओ। वहां पता नहीं नहीं क्या-क्या शर्त स्वीकार करते के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां निजी क्षेत्र में कोई संस्था चली गई तो मैंने अनुभव किया और 8-10 संस्थानों का रिकॉर्ड उठा कर देखा जैसे मॉडर्न फूड है। मैं कमेटी की तरफ से उसका निरीक्षण करने के लिए दो बार गया। मैंने देखा कि निजी क्षेत्र में जाने के बाद वहां के लोगों का वेतनमान बढ़ गया, सुख-सुविधाएं बढ़ गई, वहां का प्रोडक्शन बढ़ गया। ऐसे अनेक संस्थान हैं। क्या हम इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि देश के हित में, श्रमिकों के हित में, देश की जनता के हित में यह उचित है? यदि उचित है तो कई मामलों में इस कदम की सराहना करनी चाहिए, समर्थन करना चाहिए। दो-चार संस्थान ऐसे हो सकते हैं जो देश की एमर्जेंसी सेवाओं के लिए आवश्यक हों। उन्हें छोड़ कर बाकी सब मामलों में इस प्रकार के कदम उठाने पर विचार करना चाहिए।

कृषि श्रमिकों के कल्याण की बात कही गई, न्यूनतम मजदूरी की बात कही गई। सभापति महोदय, आप अच्छे ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना है, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी है, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए हैं, फैक्टियों में काम करने वालों के लिए हैं, लोहे का काम करने वालों के लिए हैं। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना है। उस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित कलैक्टर समय-समय पर सर्वे करते हैं, जांच-पड़ताल करते हैं, मूल्य वृद्धि का अध्ययन करते हैं, वह कम हुई है या ज्यादा हुई है, उसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करते हैं। अधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का सामान्यतः आदेश देकर पालन करने की कोशिश करते हैं अर्थात जो न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, वह उसे निर्धारित करते हैं और आदेश जारी करते हैं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इतना वेतन मिलेगा, यह दैनिक मजदूरी मिलेगी। परन्तु यह बात सही है कि चाहे कृषि क्षेत्र में कोई काम करता हो या लेबर के रूप में काम करता हो या किसी संस्थान में काम करता हो, उसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, वह उसे नहीं दी जा रही है

उसका पालन होना चाहिये। इस दिशा में आपको और हम सब को प्रयास करने की आवश्यकता है। अब पालन करने के लिये भी प्रावधान है। क्षेत्रीय इंस्पैक्टर बने हुये हैं, तहसील स्तर पर हैं, जिला पंचायतों में अधिकारी काम करते हैं। जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी हैं, जनपद पंचायते हैं, परन्तु वे मालिकों से मिलकर, जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिये, वह नहीं देते है। उसे नजर-अंदाज किया जाता है। यदि इस बात को पकड़कर उसकी निगरानी को लेकर, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रावधान करेंगे तो ठीक हो जायेगा अन्यथा जैसा आपने लिखा है, हम उसका भावनात्मक समर्थन करेंगे। इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। यह अधिनियम में, कानून में, धारा में लिखा हुआ है लेकिन व्यवहार में नहीं हो रहा है। उसे व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। उसे करने के लिये आपको और हम सब को नैतिक जिम्मेदारी मानकरर प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि नैतिकता नहीं होगी तो इंस्पैक्टर जा रहा है और पैसे ला रहा है।

सभापति महोदय, मैं ट्रेड यूनियन लीडर्स के बारे में कहना चाहूंगा। वे गेट पर भाण देते हैं कि यह होना चाहिये, वह होना चाहिये परन्तु गेट के बाहर आकर होटल चलाते हैं, कोई साईकिल की दुकान चलाता है। उस दुकान पर लिख दिया जाता है कि कर्मचारियों को दैनिक वेतन दिया जाता है। इसलिये लिख दिया कि उसके ऊपर श्रम कानून लागू नहीं है। होटल पर लिख दिया जाता है कि यहां गाय का दूध बेचा जाता है जबकि भैंस के दूध में पानी मिलाकर रखा जाता है। यदि इंस्पैक्टर जांच के लिये आ जाये तो पकड़ा नहीं जा सकता। होटल में एक आदमी से सुबह 6-7 बजे से काम लिया जाता है जो रात 10 बजे तक काम करता रहता है। अगर गिलास टूट जाये तो उसके वेतन में से पैसा काट लिया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि मिल में नेतागिरी करते हैं, भाण करते हैं और होटल में मजदूरों से 12-14 घंटे कांम लिया जाता है। जब तक इस प्रकार की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी, हम सब लोग यहां भाण देते रहें, कानून बनाते रहें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप और हम सब इस बात की जिम्मेदारी लें तो इस देश में सुधोर किये जाने की दिशा में काम हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं भी एक समय मजदूर था और बड़ा भाण देता था कि यह होना चाहिये, वह होना चाहिये, 7 दिन की कैज़ुअल लीव मिलनी चाहिये। मेरे भी खेत हैं जहां मजदूर काम करते हैं। मैं सालभर में उसे 1500 रुपया देता हूंजो दैनिक मजदूरी के हिसाब से दिया जाता है। यह दैनिक मजदूरी 8 घंटे के लिये तय है लेकिन काम 10-11 घंटे लेता हूं। जब ट्रेड यूनियन लीडर से हटकर मालिक के रूप में काम करता हूं तो उनका शोण करता हूं। हर व्यक्ति इसी प्रकार से काम करने की कोशिश कर रहा है। सभापति जी, आप बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है।

सभापति जी, आपने जो बिन्दु उठाये हैं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि व्यावहारिक रूप में इन बिन्दुओं में कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों के मद्देनजर कई कानून बने हुये हैं। उन कानूनों मे कहीं न कहीं सुधार किये जाने की आवश्यकता है। फिर कानून सख्त हो जाये तो सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। सख्ती से पालन करवाने के लिये नीयत और नियति की जरूरत है। सरकार ठीक काम करे, हम सब मिलकर काम करें। आज इस देश में ट्रेड यूनियन्स का बड़ा महत्व है। ट्रेड यूनियन्स को देखना चाहिये कि श्रमिक जिस संस्था में काम कर रहे हैं, उनका फायदा हो और संस्था भी चले। उस संस्था के कारण देश को लाभ हो, तभी देश विकास कर सकेगा। यदि श्रमिक का विकास होगा तो वह अपने संस्थान को प्रगति के रास्ते ले जा सकेगा। यदि यह सब हो सकेगा तो ठीक है अन्यथा कुछ भी नहीं होगा।

मैं आपके विधेयक का भावनात्मक रुप से समर्थन करते हुये सरकार से आग्रह करूंगा कि जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, इन बिन्दुओ के संबंध में जो कानून बने हुये हैं, उनके लिये राज्य सरकारों, श्रमिक संगठनों के साथ केन्द्र कुछ चुनिन्दा लोगों के साथ इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग को साथ लेकर किसी न किसी प्रकार से कुछ उपाय करें।

सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि इस सरकार ने द्वितीय श्रम आयोग बनाया था। उस आयोग ने गुण-दो के हिसाब से विचार-विमर्श करके, इधर-उधर सुन वाई की। श्रम आयोग के अध्यक्ष श्री रविराय जी श्रमिकों के हितों में काम करने वाले उनके हितैी रहे हैं। उन्होंने आयोग की रिपोर्ट सरकार को दे दी है। सरकार आयोग की रिपोर्ट पर जल्दी से जल्दी गंभीरता से विचार-विमर्श करके श्रमिकों के हितों में जो कुछ ठीक से किया जा सकता है, उसे करने की कार्रवाई करे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, बड़ा ही सुअवसर मुझे मिला है कि आप के द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आप ही के सभापतित्व में बहस करने का मुझे मौका मिला है। अनुमानतः 102 करोड़ की देश की आबादी है, जिनमें 40 करोड़ मजदूर और मेहनतकश लोग वर्तमान में हैं। इस सरकार का जो हिसाब-किताब है, उसमें इन मेहनतकशों का इस देश में क्या होगा।

सभापति महोदय, पहले श्रम मंत्री जटिया जी थे, वह दूसरे विभाग में चले गये। अभी श्री साहिब सिंह वर्मा श्रम मंत्री हैं। वह दिल्ली के मुख्य मंत्री थे, लेकिन अभी वह लेबर मिनिस्टर हैं। अभी यहां इनमें कोई नहीं हैं, ऐसा लगता है। उधार के मंत्री लोग उस बात के लिए यहां बैठे हैं। यह 40 करोड़ लेबर का विाय है। यहां पुराने मंत्री हैं, नये मंत्री कहां गये, यहां स्टेट मिनिस्टर भी नहीं हैं, इस पर वे क्या सुनेंगे और विचार करेंगे। पुराने आंकड़ों के हिसाब से चालीस करोड़ मजदूरों में दो करोड़ अस्सी लाख संगठित मजदूर हैं। अब उसमें भी घट गये होंगे। अभी जो छंटनी और देश को बेचने का जो काम हो रहा है।â€¦ (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : º]ä]लेबर मिनिस्टर यहां है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अच्छा अभी वह लेबर मिनिस्टर हैं?

डॉ. सत्यनारायण जटिया : आपको पता नहीं है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमें क्या पता लगना है। इसमें कुछ बर्खास्त होते हैं, कुछ नये बदलते हैं, आपके मंत्रिमंडल में फेरबदल होती रहती है। पुराने जमाने में हम लोग जो याद कर लेते थे तो वह पांच र्वा तक याद रहता था। अब दो महीने, छः महीने में मंत्री हटाते और बर्खास्त करते हैं, कभी विभाग बदलते हैं। इन्हें अफसरों से भी ज्यादा जल्दी-जल्दी बदलते हैं, इसलिए हम गड़बड़ा जाते हैं। अभी संतोा गंगवार जी स्टेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, आप ही सुनिये, यह आपका ही विाय है। दो करोड़ अस्सी लाख संगठित मजदूर देश में हैं। संगठित मजदूर का मतलब है कि जो संगठित हैं, जिनमें लड़ने की क्षमता है, बार्गेनिंग कैपेसिटी है, वे लड़कर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन इस राज्य में उन पर भी वज्रपात हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, संगठित मजदूरों का हड़ताल करने का जो मौलिक अधिकार था, उसे छीन लिया गया। हम समझ सकते हैं कि इस राज में मजदूर और मेहनतकश लोगों का क्या होगा, जो पसीना बहाने वाले, देश का निर्माण करने वाले, उत्पादन करने वाले, कारखाने और किसानी में माल पैदा करने वाले लोग हैं, जिनका पुराने जमाने से शोण होता रहा है। मार्क्स साहब आये, उन्होंने कहा कि श्रमिक का भी महत्व होता है, श्रमिक की भी प्रतिठा होती है। हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने कहा कि श्रमिकों की प्रतिठा के बिना, उन्हें सम्मान दिये बिना, उनका उचित हक दिये बिना यह समाज ठीक से नहीं चल सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन जो संगठित मजदूर थे, उन पर वज्राघात हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है। हड़ताल करने का जो उनका मौलिक अधिकार था, जो उनकी क्षमता थी, जिससे वे अपने शोण के खिलाफ लड़ते थे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज, पूंजीपति, फैक्टरी मालिक ये सभी जो मजदूरों का शोण करते थे और उन पर जुल्म करते थे, उसके खिलाफ जो उन्हें हड़ताल करने का मौलिक अधिकार मिला हुआ था, उन्हें कह दिया गया कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, यह नाजायज है।

महोदय, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सरकार ऐसा कौन सा कानून बनाने जा रही है जिससे संगठित मजदूरों का हित हो सके। देश में असंगठित मजदूरों की संख्या पुराने आंकड़ों के अनुसार 36.9 करोड़ है, यानी देश में कुल मजदूरों की संख्या के 92 प्रतिशत असंगठित मजदूर हैं। कुल 40 करोड़ में से केवल 2 करोड़ 80 लाख संगठित मजदूर हैं। यदि मजदूरों की कुल संख्या में से संगठित मजदूरों की संख्या को घटा दिया जाए, तो 37 करोड़ से ज्यादा असंगठित मजदूर बचते हैं। उसमें से 10 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं। 23.7 करोड़ कर्मकार, कृाि क्षेत्रों में नियोजित हैं। 1.7 करोड़ विनिर्माण कार्य में लगे हैं। 4.1 करोड़ उत्पादन कार्य में लगे हैं। 3.7

करोड़ मजदूर व्यापार में और 3.7 करोड़ मजदूर परिवहन एवं संचार सेवाओं में नियोजित हैं। ये पुराने आंकड़े हैं, जिनके आधार पर मैं बता रहा हूं अर्थात् ये आंकड़ें वर्ा 2001 के हैं। इन आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 40.2 करोड़ मजदूरों में से 37.2 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्रों में सेवारत हैं।

महोदय, आपने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह ऐसे मजदूरों के लिए किया है, ऐसे मेहनतकश मजदूरों के लिए किया है, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, लेकिन इस सरकार पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका कारण हैं। मैं विवरण बताऊंगा कि इसमें क्या-क्या कठिनाइयां हैं। हम इस सरकार से अपेक्षा नहीं करते हैं। क्यों अपेक्षा नहीं करते हैं, उसका कारण मैं बताता हूं। महाभारत की लड़ाई में भीम पितामह मरणासन्न अवस्था में बाण-शैय्या पर थे। उच्च दर्शन का उपदेश दे रहे थे। द्रोपदी, भीम पितामह के उच्च दर्शन के उपदेश को सुनकर हंसी। उसने कहा कि जब मेरा चीर-हरण हुआ, मेरे साथ अन्याय किया गया, तब आप कुछ नहीं बोले और अब अंतिम समय में आप ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। भीम पितामह ने कहा उस समय मैंने दुर्योधन का अनाज खाया था। मैं उसका अनाज खाकर भ्रट हो गया था, मेरी बुद्धि भ्रट हो गई थी। इसलिए अन्याय देखता रहा और कुछ नहीं बोला। अब इन बाणों की शैय्या पर लेटने से मेरे शरीर से सब गंदा खून बह गया और शुद्ध रक्त का संचार हुआ है, जिससे मैं उच्च दर्शन और ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं।

महोदय, एक महान्, प्रागैतिहासिक पुरुा, गंगा पुत्र भीम पितामह के संबंध में ऐसी बात कही गई है। उस समय के जब एक महान् आदमी का दुर्योधन का अन्न खाने के कारण ज्ञान नहीं रहा, तो यह सरकार जो मल्टी नैशनल, पूंजीपति और ब्लैकमार्कीटियर्स के सहयोग से और उनकी मन्नत से बनी हुई सरकार है, वह मजदूरों के भले की, उन्हें सुविधाएं देने की नीतियों की कैसे सोचेगी। जिन मल्टी नैशनल कंपनियों और ब्लैक मार्कीटियर्स की मदद से ये आए हैं, इनसे मजदूरों का भला नहीं हो सकता, उनकी कोई अपेक्षा इनसे पूरी नहीं हो सकती। यह संगठित और असंगठित, दोनों प्रकार के मजदूरों को बड़ा भारी लाभ पहुंचाने वाला संकल्प है, लेकिन यह सरकार इसे नहीं मानेगी।

महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संबंध में बनाया गया सरकारी विधेयक आपने क्यों रोक दिया। सुना था कि विधेयक तैयार हो गया है। कैबीनेट में जा रहा है, कैबीनेट से आ रहा है। इसी मानसून सत्र में, वर्ाकालीन सत्र में आएगा, वह विधेयक कहां है, कौन सी ताकत उसे रोके हुए है, इस सरकार पर कौन सी ताकत हावी है ? मैं कहना चाहता हूं किमल्टी नैशनल, उद्योगपति, ब्लैक मार्कीटियर और धन-पशुओं के कब्जे में यह सरकार है। इसी कारण से वह विधेयक रुका हुआ है। वह विधेयक क्यों रुका हुआ है ? जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सरकार उस विधेयक को प्र स्तुत तो करे। वह प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, वह रुका हुआ है। श्रम विभाग ने भी पास कर दिया, कानून विभाग ने भी पास कर दिया, वित्त विभाग ने रोक रखा है। वित्त विभाग पर धन-पशुओं का कब्जा है। जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, वे लोग इसमें रुकावट डाल रहे हैं, वे उसे रोके हुए हैं। जब ऐसा है, तो 37 करोड़ मजदूरों के हितों का संरक्षण कैसे होगा ?

श्री बसुदेव आचार्य जी, माननीय सदस्य, जो बराबर मजदूरों और गरीबों के लिए लड़ते-भिड़ते और बहस करते रहते हैं, उनका यह संकल्प आया है कि सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उनको सामाजिक सुरक्षा ही नहीं है, बल्कि पहले नम्बर पर उन्हें काम नहीं मिलता, वे साल भर काम नहीं करते। अगर कटनी का समय है तो काम मिल गया, रोपनी का समय है तो खेती में काम मिल गया, फिर जब रोपनी खत्म हो गई तो बेरोजगार हो गये, अर्ध बेरोजगार हो गये। इस तरह से उनको साल भर काम की गारण्टी नहीं है, इसीलिए उनको पलायन करना होता है, उनको शहर की तरफ भागना पड़ता है। बिहार से काम के अभाव में मजदूर लोग पंजाब, हरियाणा या देश के विभिन्न हिस्सों में पलायन करते हैं, जाते हैं। क्यों नहीं, उनके काम को पैदा करके, रोजगार पैदा करके मेहनतकश लोग जो पसीना बहाना चाहते हैं, इसलिए साल भर काम की कमी है, अर्धरोजगारी है, रोजगार की कमी है, यह समस्या नम्बर एक है।

समस्या नम्बर दो में असंगठित मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी है। सरकार बताये, सरकार ने दावा किया है और सरकार दावा करेगी कि हम न्यूनतम मजदूरी कानून लागू किये हुए हैं, लेकिन सरकारी महकमों में न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं मिल रही है और सरकार के विरुद्ध क्यों मामला नहीं बन रहा है। एक नहीं, दर्जनों उदाहरण हैं कि सरकारी महकमे में भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। दूसरे किसी आदमी को कैसे पकड़ा जाये, जब सरकार के अपने विभाग में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही, जबकि सरकार का अपना कानून है। हमारे यहां स्वर्गीय भिखारी ठाकुर लोक कवि थे, उन्होंने कहा कि हुकूमत के हाथी के दांत दो हैं, खाने के दूसरे और दिखाने के दूसरे हैं। यह लोककवि भिखारी कवि की भोजपुरी की कविता है। उसी तरह से न्यूनतम मजदूरी के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन सरकारी महकमे में जब न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है तो उसके साथ कैसे न्या होगा। जब सरकारी महकमे में न्यूनतम मजदूरी नहीं है तो दूसरे जो मजदूरों का शोाण करने वाले हैं, वे भी नहीं देंगे और कहेंगे कि जब सरकार ही अपने विभाग में नहीं देती है तो यह न्यूनतम मजदूरी का कानून असत्य है, धोखा है, गलत है।

समस्या नम्बर तीन में, किसानों में सभी तरह के किसान हैं, बड़ा किसान है, मझौला किसान है, छोटा किसान है, लघु कृाक है, सीमान्त कृाक है, उसके यहां भी मजदूरी होती है, लेकिन उसकी उतनी आमदनी नहीं है, उसके पास उतनी पूंजी नहीं है कि वह न्यूनतम मजदूरी दे सके। केन्द्र सरकार अपना पल्ला झाड़ती है कि इसे राज्य सरकार दे, जिसमें ये अक्षम हैं, जिसमें ये सक्षम नहीं हैं, ये अपना सारा जिम्मा राज्य सरकार के ऊपर थोपते हैं, कहते हैं कि हमारा कुछ जिम्मा नहीं है। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति वैसी नहीं है कि सामाजिक सुरक्षा मजदूरों को राज्य सरकार दे सके, इसलिए राज्य सरकार जहां पर उसकी कमजोरी है, राज्य सरकार तो अपने वित्तीय संकट से तबाह है, इस सभा में भी बहस हुई है, राज्य सरकार के वित्तीय संकट पर, कठिनाइयों पर वित्त मंत्री निरुत्तर हो जाते हैं कि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति कैसे सुधरेगी, यह जानते हुए यह कहना कि यह जिम्मा राज्य सरकार का है, इसलिए यह मजदूरों के साथ अन्याय है। केन्द्र सरकार को इसका जिम्मा लेना पड़ेगा कि यदि राज्य सरकार की वित्तीय हालत वैसी नहीं है कि मजदूरों को जो न्याय मिल सके, उनको सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी दी जा सके तो इन्हें जिम्मा लेना पड़ेगा। â€¦(व्यवधान)हम बातें क्रमवाइज बता रहे हैं। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। सामाजिक सुरक्षा में काम करने के वक्त डैथ हो गई तो कोई उसे देखने वाला नहीं है। दिल्ली के कारखाने में काम करते हुए हाथ कट गया तो कोई कुछ नहीं करता। मैं नोर्थ ईस्ट में तवांग गया था, वहां मैंने देखा कि 2-4 गरीब आदमी, आदिवासी बीमारी की हालत में टहल रहे हैं, हमने गाड़ी रोककर पूछा कि भाई, आप कौन हैं तो बताया कि हम तो बिहार के आदिवासी हैं, अब वह झारखण्ड हो गया। हमने पूछा कि यहां कैसे आये तो बताया कि हमारा ठेकेदार काम करने के लिए बुलाकर ले आया, हम बीमार हो गये तो अब हमें कोई देखने वाला नहीं है। न वहां से उनके आने का उपाय है, न दवाई का उपाय है।

न भोजन का उपाय है। उसे ठेकेदार ठग कर प्रदेश ले गया लेकिन वहां उसे कोई देखने वाला नहीं है। उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। मैं लेबर मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी मेहनत करने के लिए, रोजी-रोटी के चक्कर में प्रदेश जाता है और अस्वस्थ हो जाता है तो वहां उसकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं है, उसे देखने वाला कोई नहीं है, उसकी कठिनाई में मदद करने वाला कोई नहीं है। आपका कोई कानून उस संबंध में नहीं है। इसके लिए आपका क्या कानून है?

अब आपने किश्त देने के बारे मे कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब उस गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता तो वह किश्त कहां से देगा ? आपने ऐसा कानून बना दिया कि उसे प्रीमियम देना पडेगा। जिसकी आदमी रेगुलर है, वह तो अपनी प्रीमियम कटा देगा लेकिन जिसे काम नहीं मिलेगा, वह कहां से भोजन करेगा, कहां से प्रीमियम देगा ? इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है कि कैसे उसे सुरक्षा मिल सके, कैसे उसकी हिफाजत हो सके।

आपने संकल्प में पी.एफ. के बारे में कहा है। जिस गरीब को काम नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती तो उसे प्रॉविडेंट फंड मिलना चाहिए। यदि उसे प्रॉविडेंट फंड नहीं मिलेगा तो उसके भविय का क्या होगा ? अब आप सभी योजनाओं पर इंटरैस्ट रेट कम करते जा रहे हैं। वर्किंग क्लास इनसे नाराज है क्योंकि ये उनका इंटरैस्ट कम करते जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्यों पूंजीपतियों के दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों वर्किंग क्लास के खिलाफ आप यह निर्णय ले रहे हैं जिसके

चलते मजदूर और मेहनतकश लोगो को कठिनाई हो रही है।

आपने भविय निधि योजना आरंभ करने के लिए कहा है। भविय निधि की ब्याज दर को पुनः 12 परसेंट करने की मांग की जा रही है। इसमें बोनस भुगतान को समाप्त करने, श्रमिकों को सभी सांविधिक बकायों का भुगतान सुनिश्चित करने तथा उन्हें स्वास्थ्य प्राप्त हो, आदि के बारे में कहा गया है। अब मजदूरों के स्वास्थ्य का कोई इंतजाम नहीं है। वह रोजी-रोटी के लिए दर-दर भटकता है। इससे उसे कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को प्रधान मंत्री कोा से कुछ मदद दी जाती है। उनको यदि हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या ट्यूमर की बीमारी है तो डाक्टर उसे एक लाख रुपये का ऐस्टीमेट दे देता है जबकि प्रधान मंत्री कोा से उसे 20 या 25 हजार रुपये ही मिलते हैं। हम लोग मंत्री को लिखते-लिखते थक जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। एक लाख रुपये में आने जाने और दवाई का खर्चा अलग है। वह गरीब आदमी कैसे बचेगा ? मैं पूछना चाहता हूं कि जो मेहनतकश लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए आपने क्या इंतजाम किया है ? अब उस गरीब आदमी के बाल-बच्चे भी होते हैं। वह खुद तो मेहनत करके अपना पेट नहीं भर पाता फिर वह अपने बाल-बच्चों का कैसे पेट भरेगा ? उनकी शिक्षा का कहां से इंतजाम करेगा। क्या आप उसकी पुश्त दर पुश्त को मजदूर ही रखना चाहते हैं ? आपने उनकी पढ़ाई का क्या प्रबन्ध किया है ताकि मेहनतकश आदमी के भी बच्चे पढ़ सकें। उनकी हिफाजत हो सके, उनको सहूलियत मिल सके। उसका बेटा भी अफसर, मजिस्ट्रेट या कलैक्टर बन सके। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आपने क्या इंतजाम किया है ?

आपने संकल्प मे कहा है कि 40 करोड़ में से तीन करोड़ संगठित मजदूर हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मजदूर विरोधी फैसला हुआ है, उससे संगठित मजदूरों पर वज्रपात हुआ है। उसके लिए हम अलग से लड़ेगे, भिडेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उसे कैसे सुधारा जायेगा ? महामहिम राट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि संगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।

देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए सरकार के मन में क्या आदर है। वे मजदूर, जिन्होंने देश के लिए अनाज पैदा किया, उनकी एक पीड़ा नहीं है। समाज में पुराने जमाने से एक बीमारी चली आ रही है। खेत में पसीना बहाने से अनाज पैदा होता है, मेहनत करने से ईंट बनती है, मेहनत करने से कारखाना चलता है, मेहनत करने से सड़क बनती है, मकान बनता है लेकिन मेहनतकश लोगों को कहा जाता है कि ये छोटे लोग हैं। लोग कपड़े गंदे करते हैं लेकिन जो धोबी उसे धोते हैं, उनको कहा जाता है कि ये छोटे लोग हैं। जो लोग गंदगी साफ करते हैं, उनको कहा जाता है कि ये मेहतर हैं, सबसे खराब हैं लेकिन जो लोग गंदगी करते हैं, वे सबसे बड़े हैं। समाज में सोशल इनजस्टिस हटाने के लिए संविधान निर्माताओं ने फैसला किया और सोचा कि इस देश में सोशल जस्टिस होना चाहिए। जो लोग अछूत माने गए, छोटे माने गए, जिन्होंने मेहनत की, सफाई का इंतजाम किया, उत्पादन किया, पसीना बहाया, उन्हें छोटा कह दिया गया और जिन लोगों ने बैठकर खाया, वे बड़े हो गए। इस बीमारी को हटाने की दवाई सोशल जस्टिस है। मैं जानना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के बारे में इस सरकार की क्या धारणा है।â€¦(व्यवधान)इन सारी समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे नहीं चलने वाला है, ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। जब तक मेहनतकश लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, दवाई आदि का प्रबंध करना पड़ेगा। बीमारी में दवाई आदि का इंतजाम करना पड़ेगा।

इस देश में ऐसे 37 करोड़ लोग हैं। जब वे खड़े हो जाएंगे तो कोई पूंजीपति उनके सामने नहीं टिक सकेगा। उन्हें असंगठित छोड़ दिया गया है। वे अनपढ़ हैं, उनको समझ नहीं है, वे भाग्य के भरोसे जी रहे हैं, पीड़ा होगी तो कहेंगे कि हमारा भाग्य खराब है। देश में वैचारिक क्रान्ति लाने की जरूरत है। गरीब आदमी को यह नहीं बताया जाता कि भगवान के घर से कोई गरीब, अमीर होकर नहीं आता, यहां छल के चलते कुछ लोग गरीब हैं और कुछ लोग धन्ना सेठ हैं। आजादी मिलने से कुछ लोगों की पूंजी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। पहले 26 प्रतिशत लोग भूमिहीन थे लेकिन अब उनकी संख्या 40 प्रतिशत हो गई है। गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है, मजदूर खुशहाल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस संकल्प के बारे में सरकार को आगे आना चाहिए।, उस विधेयक का क्या हुआ, वह कहां रुका हुआ है। 37 करोड़ मेहनतकश लोगों, पसीना बहाने वाले लोगों, देश का निर्माण करने वाले लोगों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। क्या इसी तरह उनका शोाण होता रहेगा और अमीर आदमी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करता रहेगा?

होश करो, दिल्ली के देवो होश करो

अब न तुम्हारी यह मोहिनी चलने वाली है

सिंहासन खाली करो

कि जनता आती है।

यह कवि दिनकर ने कहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ किसान, मजदूर नौजवान एकता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to express my views relating to the Resolution moved by Shri Basu Deb Achaira. While going through the Resolution, I find that there are seven basic aspects which have been dealt with. The general issue is to protect the interests of the workers.

To explain how to protect the interest of the workers, seven major points have been deliberated. The first is introducing the Provident Fund Scheme for all unorganised workers. I will come to all these points systematically. As has been said, the unorganised sector covers around 37 crore workers, and the organised sector covers around two and odd crores. An establishment which makes contributions to provident fund, if it employs a mason on a daily wage basis for one or two days to do certain repair work, if it employs a plumber to do certain repair work, if it employs a carpenter to do certain repair work, the carpenter, the plumber, and the mason have to provide their share and the establishment also has to provide its share to the Employees' Provident Fund (EPF). Till now since this Act has come into being, I doubt whether any person who comes and works on a daily wage basis, at all, gets the benefit of provident fund. He never gets it. But he belongs to this unorganised sector. We are discussing about unorganised workers. The Scheme was enacted in 1952 and subsequently amended for organised workers. Do not tag in the organised workers with the unorganised workers. The scheme for organised workers with EPF and ESI has its shortcomings. No doubt it needs improvement. But do not tag in the unorganised workers with them. This is my humble suggestion because I have seen it myself and many persons who are involved in different establishments are also equally aware of the problems the unorganised workers are facing.

Second point talks about restoration of interest rate of provident fund to 12 per cent. As has been told by my friend, Shri Gehlot, I think the Government has come out with a different view point and a different policy when the Government interest rate is coming down, the interest rate that has been worked out for provident fund is the maximum today and the best. The rest amount can be accommodated in the other provisions which has been made.

As regards removal of ceiling on bonus payment, I think 20 per cent is the right ceiling. There is no need to remove the bonus ceiling. Once it is removed, there will be no end to it. It gives a lot of impetus to the aggressive unions to raise the bonus which is not conducive to maintain the labour harmony and development of industry.

MR. CHAIRMAN : Our allotted time has already been over. Now we will have to extend the time. Should we extend the time for another 45 minutes for the intervention by the Minister and also the reply by the mover? Today we are supposed to sit up to 7 o'clock. So, if we finish by 6.45 p.m., then another Resolution could be taken up.

All right. The time is extended by another 45 minutes.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : The fourth point talks about ensuring payment of all statutory dues of workers which I am sure is a pertinent point. The Government should make all the provisions to ensure payment of all statutory dues to the workers.

The fifth point which has been quoted in the Resolution is providing adequate health care facilities. For adequate health care facilities, an attempt is being made both for organised and unorganised workers. As has been classified, organised workers have certain benefits through different labour laws and other laws that have been implemented during the course of the last 50 years.

But very little is done for unorganised labour. Now, we have two types of unorganised labour. One is unorganised labour in the rural areas and the other is unorganised labour in the urban areas. And we have semi-organised labour also. The semi-organised labour are mostly found in rural areas. When we talk of semi-organised labour, beedi workers come to our mind and my experience is, money is being given from the Central Government for developing their households, on their holdings and also to provide them different community centres. But how many engineers or overseers do we have to supervise this work? They have to run from pillar to post though adequate funds are being sanctioned to provide houses for beedi workers, to provide them community centres and market centres. For semi-organised labour force, adequate persons are not there to supervise as overseers, junior engineers or assistant engineers. That is the main reason why the structures that are being erected in the rural areas are not at all completed on time.

There are labourers from vulnerable groups and child labour is one of the main labour force which are more vulnerable. Everyday, when we cross the streets, we see them. Though an Act has been passed, adequate steps have not been taken to eradicate child labour to the true sense of the term.

We have talked about bonded labour and Dr. Raghuvansh Prasad Singh mentioned about migrant labour. But we have another problem. We have *dadan* labourers. The contractors go to certain pockets, give the workers a certain amount and bring them to another State as has happened in the North East and which is mentioned by Dr. Raghuvansh Prasad Singh. We call them *dadan* labourers. They get money like Rs. 1000 or Rs. 5000, give it to their families, migrate to a different State and work there for four or five months. Many of them rarely return. Nobody knows what happens to them. There was a sudden cloud burst the other day in Himachal Pradesh or there may be a flood in Kerala and some other problem in Rajasthan, and these dadan labourers lose their lives. There is no track record about them anywhere, neither in the State from which they migrate nor in the State where they go and work. Adequate steps should be made to register them. Whenever there is any contractual work, the contractors in different States should make a list of those workers who are working in their fields with their addresses at least. A record can be maintained that these are the persons working in such a dam or road and so on. That is not being done.

The sixth point is to enact a comprehensive legislation for the welfare of the agricultural labour. I fully endorse this view. It is fully necessary that we should have a comprehensive legislation for the welfare of agricultural labourers who are the most neglected lot and who, I am sure, comprise the maximum number of unorganised labour force.

I come to another aspect. I think, two years back, an idea was floated by the Finance Minister when he presented the Budget. He mentioned that an amendment may be brought forward relating to the workers who are working in the small scale industry.

17.55 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

Free market economy and change in work culture have come into our country and into our work system either intentionally or unintentionally. We want development. We want to compete in the international market. At the same

time, we want to sustain our products and excel in the market. That is the main reason why expertise is needed. We need finance also to upgrade the machines.

There was a time when labour was cheap. But today labour is not cheap. Neither electricity nor time is cheap. Therefore, we need more investment and quicker results. That is the main reason why the labour force is getting minimised in different establishments. But the problem is there.

Till 1973, the rule was that an establishment which employed up to 100 employees need not go to the State Government to lay off certain workers or to close down certain units. Now, very little industries or establishments are going in for a composite units or very many units in one block. Now-a-days small number of units are coming up. Another establishment is getting all those products together, compiles, assembles and sends the products to the markets. That is the system which is in existence today. It need not have to employ around 100 people. Actually, he wants to lay off all those workers, but that permission is not being granted to him. Since 1973, that limit has been raised to 300 from 100. So, there lies the lacuna. I think two years back, year before or the year before that year the then Finance Minister had mentioned about this in his Budget speech. But till today the Bill has not come. The Labour Minister may kindly ponder over it, think over it. Amendment to this effect is necessary for the proper growth of industries and to have proper industrial climate, that certain units which employs less than 100 can directly minimise their work force. They need not have to go to the State Governments for permission. I think this needs a little consideration.

As has been said earlier, the ESI health coverage is not proper. I need not repeat it again and again. I have my own personal experience. I have interacted with a number of workers who are working in different factories. They face a lot of problems for getting their dues back from the Employees' Provident Fund. They get very little support from the ESI in regard to health services. It needs improvement.

The last point which has been mentioned in the Resolution is that we should ensure minimum wages to the workers. Different State Governments have enforced minimum wages in their States. In Orissa it was Shri Biju Patnaik who suddenly enhanced the minimum wages to Rs. 25 from Rs. 10. It was hardly Rs. 10 before that. There was a clamour not only from the industrial houses but also from the Opposition. The Opposition at that time was the Congress Party. It is necessary to mention as to how he arrived at that figure or decision. He was moving around the tribal districts once. He asked a tribal woman as to how much is required to sustain herself. She said that she would need at least five kgs. of rice per day to maintain her family. At that time the cost of rice per kilogram was Rs. 5 or Rs. 5.50. That is how Biju Babu raised the minimum wage to Rs. 25 per day. This has been revised again. It is necessary that the minimum requirement to sustain a family should be the basis for fixing the minimum wage for a worker.

I support this Resolution with certain conditions. As I had mentioned earlier, the first two provisions are not at all necessary. I would request the Mover of the Resolution, Shri Basu Deb Acharia to modify the Resolution. I support the last three provisions in the Resolution.

18.00 hrs.

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Mr. Chairman, Sir, I am in general agreement of this Resolution. The only problem with this Resolution is that it comprehends many things. So, I am not going into all the details. I am confining myself to one or two points.

This Resolution is very important because internationally Pension Schemes and Social Security Schemes are facing a lot of problems. It is because of sudden fall in the interest rate throughout the world that social securities have become a problem. In the United States of America and Europe, Pension Schemes and Social Security Schemes are rather crashing. Here also, the system is on the verge of crashing. I urge upon the hon. Labour Minister to give a very serious thinking to the Provident Fund Scheme. The Provident Fund Scheme suffers from many ailments. First of all, the Provident Fund organisation is a corruption-ridden organisation. Many things are done in that matter but even now the workers have no access to the organisation. They do not know what are the benefits that accrue from that organisation. So, my submission to the hon. Minister is that he should have a very serious thinking about the Provident Fund Organisation as it exists today. Has the Minister ever thought of the administrative expenses of the Provident Fund Organisation? As per my information, Rs. 460 crore are spent on administration alone. With that much of top-heavy administration, the money which is being paid as subscription as well as the contribution that they get is spent only on administration. Either by mechanisation or streamlining, administrative expenses are to be reduced immediately in the Provident Fund Organisation.

Secondly, the arrears to be collected, as per the recent statistics, is Rs.1386.70 crore. If the Provident Fund Organisation had been sufficient, this money would not have been there as arrears. What are we going to do with that? No amount of prosecution will help in this matter because many companies have disappeared, many companies are liquidated and so Provident Fund cannot be realised. So, the money that could have come to the

workers is not there.

Another thing is regarding the interest rate which I had mentioned earlier. Now, he has a lot of pressure on him and he has kept the interest rate at 9.5 per cent. But does he think that he can sustain it? I do not think that in the present economic scenario of the country this percentage cannot be sustained simply on the basis of interest. Some mechanism will have to be found out. We have to look into whether a portfolio management in the Provident Fund system is necessary, whether there can be a Mutual Fund, whether investment can be done through Provident Fund. Without that, Provident Fund as well as social security is going to be a great problem in this country. So, my submission is, we need a close scrutiny of the Provident Fund Scheme. As it is, there are two Provident Funds − General Provident Fund and Employees Provident Fund. In Employees Provident Fund, once upon a time we used to get 12.5 per cent interest. I do not blame the Minister. Due to the pressure put by economic Ministries as well as the pressure of the Finance Ministry, he had to reduce it. Two months back, I had congratulated him that because of his efforts he was able to stick on to 9.5 per cent. But I apprehend that he would not be able to do it for a long time. Then it comes to the poor worker who will have to face difficulties.

The Government has to find out a method by which the interest rate on the Provident Fund can be kept up.

Sir, there is a Provident Fund Pension Scheme. The Pension Scheme in the Provident Fund was started in 1995. There was a lacuna in it. First of all, in 1972, when the Pension Scheme was first introduced or talked about, many trade unions, including the one supported by the mover of this Resolution, opposed it, with the result that those persons who were working in 1972, when they reached the year 1995, became ineligible for family pension. So, the Government has to evolve a scheme by which the entire arrears from 1972 to 1995 can be remitted and thus they become eligible for family pension. Some people have opted for it and some others have not opted for it. As a result, now the position is, the pension which was decided in 1995 still continues to remain. There is no change. It was Rs. 500 in 1995 and even now the same amount is paid. They have no Dearness Allowance and they get no increase in their pension. They have foregone their contribution. Otherwise, they would have got the money and they would have put it in the bank and earned some more money out of interest.

The Provident Fund pensioners are facing a real problem now, but the Government is not looking into it because they are not organised. The Government has to seriously look into their problem. The pension that was decided in the year 1995 still continues. So, a scheme has to be evolved by which a little more Provident Fund pension can be given to them.

Then, in the present economic scenario, the employment scenario in the country is changing everyday. There is no security of labour now. Modern IT companies and other companies are not giving permanency to workers. The scheme brought out by the Government of giving individual Provident Fund Number is, in a way, good, but at the same time, most of the people, both low-wage workers and educated workers, cannot be in the Provident Fund Scheme. So, I urge upon the Ministry of Labour that they should come forward with a social security scheme by which all the workers, whether they are salaried or not, whether the owner of the company is providing Provident Fund to them or not, are covered, as they have done it in Canada and in some other European countries. Otherwise, a day will come, which is not far away, when the Provident Fund itself will get obliterated. That itself will become out of date because new entrants will not be there.

Secondly, the Labour Minister knows very well about the problems of the workers in the unorganised sector. I appreciate his efforts to bring in some legislation for the benefit of workers in the unorganised sector. But I would like to inform him that this august House passed a law for the Building and other Construction Workers Welfare Fund Board in 1996, during the tenure of the 11th Lok Sabha. But that has, still, not been implemented. I have repeatedly requested him to convene a meeting of the Chief Ministers or, at least, of the Labour Ministers of all States to discuss about it. I requested his predecessor, Shri Sharad Yadav also on this matter and he has agreed with me. The hon. Minister is well aware that the Construction Workers Welfare Fund Board met only twice during the last 20 years. As per the statute, they have to compulsorily meet every six years. But till date, only three meetings have been held and I have attended two of them. In the Board meeting also, I urged upon the Labour Minister to coerce the State Governments to convene a meeting of the Labour Ministers.

Only three States − Kerala, Karnataka and Tamil Nadu − have implemented their welfare schemes. No other State has done so. The major States have not implemented it. What is the purpose of passing the law in this case? We had passed a law in 1996 and the Board was constituted. The life of that first Board is expiring tomorrow or the day after. No action has been taken. The Department of Labour is not at all interested in this matter. That Department does not know what the construction workers or the agriculture workers are. They always say that bring it in the Concurrent List or such other things. They always pass the buck by saying that it is a State subject. There is no meaning in doing it. If I may say so, in common parlance, the Central Labour Department is a sort of a redundant one. No work is being done in this Department.

Now, what about the ESI? The time is not permitting me. ESI is also a bedlam of corruption. As Shri Gehlot has

pointed out, a worker goes on leave only by paying money. You have to rethink about it. Its administration is with the Central Government but the implementation is with the State Government. The Central Government has no control over it. The State has no control over it. It has become a no man's land. It is an orphan. I have been requesting that under the ESI, some medical facilities should be given to the unorganised sector, especially the construction workers. We have requested for it many times. But I am proud to say that in Kerala, the Construction Welfare Board is working extraordinarily well. We are now paying Rs. 200 to the ordinary worker as pension after 60 years. I have shown that Bill to you. I have requested you to ask the other State Governments to do that. But not even a single finger has risen in that case. So, there is no meaning of it.

I repeatedly request that if you are genuinely interested in the unorganised sector, this House has given you authority by passing a law in 1996. Seven years have elapsed. The Department of Labour has not done anything. I requested for convening a meeting. Somehow or the other, this has not happened. Without that, how can we save the unorganised workers? Shri Mehta mentioned about 37 crore workers. I agree that there are 37 crores of workers. But for those 37 crores, nothing is being done in this matter. So, my humble request is that this Resolution strengthens you. I am not going into its other details. I am mentioning only two or three points to you. We are very late. Unless you take prompt action about the Provident Fund and the social security schemes of the workers, we will be missing the bus and the country itself will be in difficulties. It will come to a grinding halt.

The other point is about the unorganised workers. I know the present Minister of Labour is sincere towards them. But the things are not moving. You have to do something for implementation of the Construction Workers Welfare Board Act as well as for the agriculture labour. These are intermingled. There is no separation of agriculture labour and the construction workers in the villages. So, the unorganised sector has to be taken up in a comprehensive manner. Some steps have to be taken to implement the Provident Fund and the health care schemes for them.

Even now, health care is a wild cry. Nobody is bothered about the health of the unorganised sector. We have no scheme for them. In the organised sector, there are bank employees and factory workers. They have such a scheme whether it is good, bad or indifferent. The ESI is there. They are getting the benefit. They are better paid. They have also got better medical facilities. So, I request the Minister of Labour to come forward with a scheme by which the unorganised workers are also given medical and health care facilities along with the security.

I am not going deep into this matter. But these are matters where it is high time that we should think about this. Tomorrow is the 56th Anniversary of our Independence and even after 56 years, now we are speaking about unorganised sector. Ministers after Ministers speak of the unorganised sector, but nothing has been done.

I support this Resolution with the hope that something is done in this regard.

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Mr. Chairman Sir, first of all, I thank Shri Basu Deb Acharia for bringing this most important Resolution just on the eve of the 56th Anniversary of our Independence.

There are a large number of workers in the unorganised sector. As he has mentioned, there are about 37 crore workers of our country who are in the unorganised sector. They have no proper legal umbrella to protect their interests at the present as well as in the future. The social security measures are not sufficient and the pittance of laws that are there, as the earlier speaker has mentioned, are mostly not properly implemented. This is a very serious problem.

For the unorganised sector, there are some suggestions like introduction of provident fund scheme for all workers in the unorganised sector. Some State Governments have made an attempt in this regard too. We have seen in the State of West Bengal where they have started the provident fund scheme for the agricultural workers. But you know, the State Governments have their own constraints as they have financial and other problems. The question is, how we can do this for the whole country? The Central Government will have to take some initiatives and they can call a meeting of the State Governments and then take a decision as to how we can introduce this scheme in the whole country.

Then as far as restoration of the interest on the provident fund to 12 per cent is concerned, we have made some suggestions. But the hon. Minister cannot do anything because they are the victims of the World Bank, IMF and WTO and gradually we have to give in. Ultimately, we do not know whether we will be able to make it or not. If we keep the money in the bank, in future, probably we will have to pay interest to the banks for protecting the money. They will not give interest because of Shri Shourie's very fast movement towards LPG. Probably we will have to pay the bank for protecting the money. It has been reducing. It is a new challenge. We have to mobilise funds. We will have to find funds from elsewhere to do all these things. Because of the reduction in the interest rates, we are suffering a lot. The hon. Labour Minister will have to fight a lot with his colleagues to protect the workers in the unorganised area.

As far as removing of ceiling on the bonus is concerned, I think, this is in the hands of the hon. Minister. You know, the Bonus Act was passed long back and then a ceiling was put that the workers earning Rs.2500 per month would only get the bonus. Those who are earning more than that would not get any bonus. Now, because of the rise in prices and devaluation of rupee, this amount of Rs.2500 is a paltry sum to maintain their families for the whole month. I think, this is a very crying demand of the unorganised sector, the trade unions, etc. that the bonus ceiling should be enhanced. This should go beyond Rs.2500. Up to Rs. 6500/- it is in the hands of the hon. Minister and he can think of it. This has been a very long- standing demand of the workers.

Payment of statutory dues is also another area of concern. Now, the closure of factories and all new type of attacks are there. When they are closing down those factories, they are not paying their dues, they are not depositing the owners' share of Provident Fund, and they are not depositing the ESI fund. These are new areas of problems and you have to find out ways to face them.

Regarding the health and other facilities, they have mentioned about enacting a comprehensive legislation. I want to mention, in two minutes, the question of enacting a comprehensive legislation for the welfare of agricultural workers. Since 1980 onwards, I am continuously making this demand in the House. As I am working among the agricultural workers, I find that they are in great distress. Now, 11 crore agricultural labourers are there in our country but they have no guarantee of work. Earlier, they used to get work for 120 to 135 days. Now they are getting work for not more than 70 days in a whole year. How can they survive? We are making some local survey. In Haryana, in one village, we are making a survey. There, we found that in the whole year the agricultural labourers got work for only 39 days. This is a very serious situation. So, agricultural labours are in a very bad shape. There are many schemes. Every year we introduce 4, 5 or 10 schemes in the name of this Minister, that Minister, that *mahapurush*. That is not helping. We should pool all of them together. You increase the number of schemes but their implementation is in a very bad shape. If we have a less number of programmes and maximum fund is pooled and is properly monitored, I think that will be enough. I do not know how many Rural Development Schemes are there. Probably the Ministers think their name will remain in the history, they will remain memorable in the future, so they are putting in these programmes every year. On every Independence Day, the Government announces some new Programme. We should pool together all the schemes and we should find out certain minimum number of programmes so that maximum number of people should be benefited. There are all sorts of administrative problems. We know that out of the one rupee given, only 16 paise are reaching the villages, as is commonly believed. It is because of multiplicity of programmes and mismanagement. If less number of programmes are pooled together, given directly and monitored properly, I think that will be better for the programmes.

Regarding agricultural labour, my suggestion is that we should have a Central legislation. We should not go in for what the State Governments are saying. Some State Governments are agreeing and some are not agreeing. We should pass a Central legislation. There, the definition should be there as to who are the agricultural labourers. They should be identified. They should have Identity Cards. Their registration should be there at the block level under an Agricultural Labour Officer. On the basis of their identities, they can be hired for work.

Secondly, I come to their wages. The minimum wage is only for violation. In most of the areas, it is not implemented. There are variations. In one State, there are 3 or 4 types of minimum wages. We have to fix proper minimum wages, and that should be implemented all over country through the Agricultural Labour Officer who will work at the block level under him.

Thirdly, there will be conciliation machinery. If there is a dispute between the landlords and agricultural labourers, where will they go? There is no conciliation machinery for the agricultural labourers. Though we say that there are certain labour laws, yet that is not practicable for the agricultural labourers. We should have separate dispute settlement machinery. We have to make a provision for that in the specific laws.

Fourthly, the working hours of these workers should also be specified. Their social security, their holidays and then their compensation should also be specified. The agricultural labourers are suffering from serious types of diseases. The normal diseases are there. Due to pesticides, working in the field and accidents, they are facing a lot of problems. So, we should make certain provisions for these in the comprehensive Central legislation.

As regards their future, some Welfare Fund for them as per the Kerala pattern should be created. We can mobilise a Fund for them. The Central Government can make a corpus with Rs. 300 crore or Rs. 500 crore and the State Governments also may be asked to contribute a bit. The landlords who hire the agricultural labourers may also be asked to pay a certain amount towards this Fund. In that way, we can have a Fund for the agricultural labourers. From that Welfare Fund, we can pay their pension. That also should be conceived in the Kerala pattern and that should be implemented for the whole of the country.

There is a massive migration of agricultural labourers because of their not getting work. In every State, you will see the Bihari workers. Thousands of workers from Bihar and the Eastern U.P. are going to Maharashtra, Karnataka,

Punjab and other States. Due to drought, this migration is increasing and they are migrating in search of work. We have to think about the migrant workers and also how we can provide social security to them. That also should be provided in the Act.

This is not a new thing. Many meetings took place in this regard. Dozens of meetings had already taken place. The Standing Committee, the State-level Committees and the Labour Commission have recommended many things for them. Many Conferences were held on this subject. I would request the hon. Minister to finalise it early. It is readymade. In your Ministry, so many drafts for the Agricultural Labour legislation are rotting. I would request the Minister to take initiative and update those documents. If the hon. Minister brings up a comprehensive Central legislation for the agricultural labourers in this House, that will be the best service to a large number of our workers in the rural areas.

I would once again make a request to the hon. Minister to bring a comprehensive Central legislation for the agricultural labourers. I hope, the hon. Minister will consider the suggestions as have been mentioned in this Resolution and also by the Members and see that in the 56th Anniversary of our Independence, we will be able to provide a better life for the 37 crore rural workers of our country.

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बसुदेव आचार्य जी द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 2003 को निम्नलिखित शब्दों में सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया था, उसके ऊपर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं :

> " कि यह सभा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में निरन्तर हो रही कमी पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह सभी असंगठित श्रमिकों के लिए भविय निधि योजना आरम्भ करके ; भविय निधि की ब्याज दर को पुनः 12 प्रतिशत करके ; बोनस भुगतान की सीमा को समाप्त करके ; श्रमिकों को सभी सांविधिक बकायों का भुगतान सुनिश्चित करके ; पर्याप्त स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं प्रदान करके ; कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए एक व्यापक विधान अधिनियमित करके और ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करके श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए उपाय करे। "

महोदय, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए, इस बारे में संगठित श्रमिकों के लिए तो कानून बने हैं।

लेकिन असंगठित या ठेका मजदूरों के लिए कानून बनाने की जरूरत है। जो कानून बने हैं, उन्हें लागू करने का काम श्रम मंत्रालय देखता है, लेकिन असंगठित मजदूरों का कोई भी नहीं है, उनका सिर्फ भगवान मालिक है, ऐसा मैं मानता हूं।

भारत सरकार के बड़े-बड़े उपक्रमों में भी ठेका पद्धति चालू है, जैसे टेलीफोन डिपार्टमेंट में केबल बिछाने में या कोई कारखाना खड़ा करने में ठेकेदार की ओर से ठेका श्रमिक लगाये जाते हैं। भारत सरकार के लगभग सभी उपक्रमों में ठेका पद्धति चालू है, जैसे तेल कम्पनियां, कोयला खदानें, रेलवे और सभी मंत्रालयों में सफाई मजदूर ठेके पर लगाये जाते हैं, यह पद्धति बन्द होनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

यहां पर मेरे सभी साथियों ने जो विचार रखे हैं, उनसे मैं अपने को जोड़ता हूं। इस देश में जो असंगठित और ठेका मजदूर हैं, उनके लिए सरकार को, श्रम मंत्रालय को कानून में संशोधन करके प्रावधान करना चाहिए, ताकि इनको भी न्याय मिले, यह देखना भी बहुत जरूरी है। जो बड़े-बड़े ठेकेदार होते हैं, वे दिल्ली जैसे बड़े-बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें किसी का अपघात होता है या कोई बीमार होता है, उसके ऊपर ठेकेदारों का ध्यान नहीं होता। गरीब लोग जो दूसरे प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनके लिए इस कानून में कोई प्रावधान बहुत ही जरूरी है। ये लोग अपना पेट भरने के लिए कभी इस स्टेट में, कभी दूसरे स्टेट में जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। ठेकेदार जहां ठेका लेगा, वहीं पर वह लोगों को ले जाता है और बहुत सी जगहों पर ठेका मजदूरों का एक्सीडेंट वगैरह होता है, जैसे कोयला खदान में या रेलवे में जो काम करने वाले ठेका मजदूर हैं, जहां कहीं दुर्घटना होती है, वहां उन्हें कोई मुआवजा सरकार की ओर से या ठेकेदार की ओर से नहीं मिलता। इस ओर सरकार को, श्रम मंत्री महोदय को देखना चाहिए, यह भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को विनती करता हूं।

मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए फिर से इस संकल्प के लिए बसुदेव आचार्य जी को धन्यवाद देता हूं और मैं इसका समर्थन करते हुए मेरे दो शब्द यहीं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इस संकल्प की कार्यावधि समाप्त है, इसलिए यदि सभा की सहमति हो तो 15 मिनट के लिए समय बढ़ा दिया जाये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : 15 मिनट में यह कैसे समाप्त होगा?

श्रम मंत्री (डॉ. साहिब सिंह वर्मा) : ºÉàÉªÉ iÉÉä ºÉÉiÉ ¤ÉVÉä iÉBÉE cè xÉ?

सभापति महोदय : इस संकल्प की अवधि समाप्त होने वाली है। अब सरकार की तरफ से मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोा कुमार गंगवार) : माननीय सभापति जी, सदन के विद्वान सदस्य श्री बसुदेव आचार्य जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विाय और सामयिक विाय संकल्प के लिए चर्चा के रूप में रखा और उतना ही योग्य समर्थन सभी अन्य माननीय सदस्यों ने भी किया, जिसमें आप स्वयं भी सम्मिलित थे।

वर्तमान में दुनिया में सुधारों का दौर चल रहा है और मजदूरों की चिन्ता सभी तरफ हो रही है। हमारे देश में करीब 40 करोड़ के लगभग संगठित और असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की संख्या आंकी गई है।

वर्तमान सरकार जहां प्रति र्वा एक करोड़ नई नौकरियां उपलब्ध कराने की बात कर रही है वहीं पर इस समय जो लोग कार्यरत् हैं, उनकी भी हम चिंता कर रहे हैं। जैसे आप सब परिचित हैं कि करीब तीन लाख से अधिक प्रतिठानों में 3.74 करोड़ के करीब ऐसे कामगार हैं जो विभिन्न सुरक्षा योजनाओं में आते हैं, जिनकी चिंता की जाती है। सरकार ने इससे और आगे बढ़कर असंगठित क्षेत्र में जहां 37 करोड़ के करीब श्रमिक हैं, उनकी चिंता की है। उनके हिसाब से कैसे हम व्यवस्थित करें, मै आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि पिछले दिनों में आई.एल.ओ. की कांफ्रेस में जिनेवा मे था। वहां हिन्दुस्तान के पक्ष को बहुत अच्छे ढंग से रखा गया। दुनिया में हमारे पक्ष को सराहा भी गया। मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि देश के अंदर विभिन्न संगठन चाहे कुछ भी कहें, वहां पर हम सबने एक स्वर में हिन्दुस्तान में जो कुछ

हो रहा है, उस दिशा में कार्य करना शुरू किया था। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माननीय बसुदेव आचार्य जो कि इस क्षेत्र के बहुत अच्छे जानकार हैं, ने जो बातें लिखी हैं, मैं आपका ध्यान भविय निधि की ब्याज दर पर लाऊंगा। भविय निधि की ब्याज दर जिस समय निश्चित हो रही थी, तब सब लोगों की नजर माननीय श्रम मंत्री के ऊपर थी। कोई भी अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि जब दुनिया के अंदर ब्याज की दरें निरंतर कम हो रही हैं तो हम कैसे इसको इस रूप में लायें जिससे मजदूरों का अहित हो सके। हमने वह कर दिखाया।

जहां तक आगे का विाय है, हम ऐसा महत्वपूर्ण कदम लेकर आ रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र के अंदर कैसे इन 37 करोड़ मजदूरों को शामिल करें। उसका बिल आया हुआ है। वह मंत्रिमंडल में विचार के लिए रखा है। इस समय वह ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर के बीच में चर्चा के लिए सर्कुलेट है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत जल्दी यह बिल सदन में आयेगा और माननीय सदस्य ने यहां जो कुछ कहा है, उसको हम एक अच्छे ढंग से यहां पर प्रस्तुत कर पायेंगे। एक सही दिशा में देश के अंदर मजदूरों के हित में जो काम होना चाहिए, उसकी शुरुआत इस प्रकार से हो रही है। यह बात हम मानते हैं।

अभी कुछ मित्रों ने ई.एस.आई.अस्पताल के बारे में कहा। ई.एस.आई. अस्पताल करीब 3.10 करोड़ कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब यहां पर उस संबंध में कुछ समस्याएं बताई गयी हैं। सामान्यतः अधिकांश ई.एस.आई. हॉस्पिटल राज्यों में है जो कि राज्यों द्वारा संचालित होते हैं। दिल्ली में ई.एस.आई. अस्पताल केन्द्र द्वारा संचालित होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने हर राज्य में एक मॉडल अस्पताल बनाना तय किया है जिसे केन्द्र द्वारा संचालित करेंगे। उसमें सारी सुविधायें मिलेंगी। मैंने कुछ ई.एस.आई. डिस्पेंसरियों को भी देखा है। मैंने महसूस किया कि इसमें बहुत कुछ कार्य करना बाकी है। हम इसको इस रूप में कैसे आगे ले जायें, इस दिशा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जिस ढंग से ई.एस.आई. अस्पताल काम कर रहे हैं, इस समय केवल 141 अस्पताल हैं। हम इसमें हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं चाहे वह आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो। इसे हम आगे बढ़ाने की दिशा में भी ले जा रहे हैं परन्तु इसमें कुछ कमियां समझ में आ रही हैं। उन्हें कैसे सुधारा जाये, इस बात की कोशिश की जायेगी। ई.एस.आई. अस्पताल में जो भी जायें, वे इस रूप में न जायें कि वे केवल छुट्टी के लिए जा रहे हैं जैसा कि हमारी समझ में आ रही है।

माननीय साहिब सिह वर्मा जी इसके बारे में चिंतित हैं। वे कई ई.एस.आई. डिस्पेंसरियों का स्वयं भी मुआयना कर चुके हैं। उसको हम कैसे एक सही दिशा में ले जायें, उस हिसाब से आगे बढ़ने के काम भी करें। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम जो बिल लाये हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, वे इस बिल में शामिल हो जायेंगे। उन सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। समय-समय पर जो मीटिंगें चल रही हैं, उन मीटिंगों के अंदर चाहे बीड़ी श्रमिक हो या कोई भी श्रमिक हो, उनको हम कैसे सहायता सुविधा बढ़ा पायें, कैसे हम उसको एक सही दिशा में ले जायें। देश के बाहर जो श्रमिक जाते हैं, उनको वहां पर सुविधायें मिलें, उनकी समस्याओं को हम किस प्रकार से हल करें ताकि देश के बाहर जाने के बाद उन्हें ऐसा महसूस न हो कि वह अकेले खड़े हुए है। इसका भी एक सही ढंग से, सही स्वरूप में लाने का काम कर रहे हैं। बोनस के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अगर बोनस को फ्री कर देंगे तो मैं समझता हूं कि जितना आर्थिक भार आयेगा, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सब परिचित हैं कि किस यूनिट ने जितना मुनाफा रखा गया है, वह चाहे जितना भी देना चाहे, जिस रूप में देना चाहे, दे सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य :उनकी सेलरी 2.500 रुपये है। उसको आप बढ़ाइये। यह तो 30 साल पहले तय हुआ था।

श्री संतो कुमार गंगवार : सरकार इन सारे वियों पर विचार कर रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जब हमारा अनआर्गनाईज़्ड सैक्टर वाला बिल आएगा तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि हम इन वियों पर कितने लिबरलाइज़ हैं और लॉजिकली उसके हिसाब से चल भी रहे हैं। आज के समय में यदि 20-25 साल पहले वाला कोई कानून है, तो यह हमारी समझ में भी आता है, हम भी अखबार में पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन्स हैं जहां एक साल का वेतन एक करोड़ रुपये से अधिक है। अगर हम मजदूर की सुविधाओं की पूर्ति न कर पाए तो निश्चित रूप से यह सरकार के लिए चिन्ता का विाय है। आप हमारी बात निश्चित रूप से मानेंगे कि इस सरकार के आने के बाद से महंगाई नहीं बढ़ रही है। हम कोशिश में हैं कि आम आदमी को खाने-पीने की चीजें सही मूल्य पर उपलब्ध हों, हम उनकी समस्याओं का हल करें। हम यह नहीं चाहते कि महंगाई बढ़ती रहे, वेतन बढ़ता रहे और हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाएं।

जहां तक वसूली का सवाल है, हम बहुत प्रयत्नशील हैं। अगर आप पिछले चार-पांच वर्षों के आंकड़े उठाकर देखें तो हमने दुगुनी-तिगुनी भविय निधि की वसूली की है। इस समय करीब 1511 करोड़ रुपया ऐसा है जो वसूल नहीं हो रहा है और उसमें से भी दो-तिहाई धन ऐसा है जो विभिन्न न्यायालयों, बीआईएफआर आदि के कारण लंबित है और जिसे वसूलने में हमें असुविधा हो रही है। बाकी के लिए हमने एक कार्यदल गठित किया है कि अगर 300-400 करोड़ रुपया है तो उसे तुरंत वसूला जाए। मजदूर का एक रुपया भी बाकी न रहे। उसमें सरकारी, गैर-सरकारी राज्य और केन्द्र के लोग हैं। इसके लिए पीनल कार्यवाही हो रही है।

मैं इस महकमे में दो-तीन महीने से हूं। मैंने देखा है कि माननीय श्रम मंत्री जी ने इन दो-तीन महीनों में कम से कम चार-पांच मीटिंग केवल इसी बात को लेकर की हैं कि हम इस वसूली को कैसे सुनिश्चित करें। जहां कोर्ट का स्टे हैâ€¦ (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Hon. Minister, when you are discussing about Provident Fund, I draw your kind attention towards 2001-02. The amount that has been collected was Rs. 1,100 and odd crore and the amount that is spent as administrative and inspection charges is Rs. 498.86 crore. It is around Rs. 500 crore. ...(*Interruptions*) So, are you are going to minimise the administrative expenses? ...(*Interruptions*) It is because administrative expenses relating to provident fund is around five per cent, which should not be. It should be less than two per cent in any establishment. ...(*Interruptions*)

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: You are absolutely right. We will see. ...(*Interruptions*)

SHRI A.C. JOS : Hon. Minister, last year you have collected Rs. 1,100 crore but arrear is Rs. 1,386.75 crore and the administrative expenses will come to Rs. 486 crore. So, that is the difficulty. That is what we have been pointing out. ...(*Interruptions*)

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि वे जिस एरियर की बात कर रहे हैं, वह एक साल का एरियर नहीं है, अनेक वर्षों का एरियर इकट्ठा होकर आया है। That is for so many years. That is not of one year. So, please do not say that Rs. 1,100 crore are not collected and Rs. 1,300 crore was left. It was not of one year. It was of many years.

दूसरी बात बताना चाहूंगा कि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि खर्च कम से कम हो। चाहे राधाकृणन जी हों, श्री गहलोत हों, गावीत जी हों, रघुवंश प्रसाद जी हों, मेहताब जी हों, हन्नन मोल्लाह जी हों, सब सदस्यों ने इस बारे में अपनी बातें कही हैं। मैं यह ऐडमिट करता हूं कि जो न्याय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है। वह न्याय देने की बेहद आवश्यकता है। आप सच पूछें तो मुझे इस बात के लिए रोना आता है कि आखिर देश किसके लिए आजाद किया गया था, क्या केवल कुछ संगठित लोगों के लिए या बड़े लोगों के लिए? समाज की 37 करोड़ वर्कफोर्स, जो गरीब लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, जिनके बारे में जोस जी ने ठीक कहा कि उनको 365 दिनों में से कहीं 39 दिन, कहीं 70 दिन काम मिलता है। इस प्रकार के कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको केवल 10 दिन, 20 दिन ठेके पर काम मिलता है। कभी बारिश हो जाती है,कोई और दिक्कत हो जती है, ठेकेदार को परेशानी हो जाती है तो उसे 30 दिन में से केवल 10 दिन का ही

वेतन मिलता है।

बीस दिन ऐसे ही इधर-उधर से उधार लेकर खाते-पीते रहते हैं। उनकी जितनी दिक्कतें हैं, मैं बयान नहीं कर सकता।â€¦ (व्यवधान)

SHRI A.C. JOS : Without interrupting, I would like to ask how about implementing Building and other Construction Workers Welfare Fund Board Bill.

DR. SAHIB SINGH VERMA: I went to attend your programme of the construction workers. I know how much work you are doing for those people and how much worried you are about them. I am equally worried. I may assure you that here is a Labour Minister who has realised all these difficulties as much as you have realised. I can assure you of this with all sincerity. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बेहद दिक्कतें हैं, बेहद परेशानियां हैं। मैं एक र्वा पहले मंत्री बना, मेरा ध्यान इस ओर गया क्योंकि मैं एक छोटे से किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मैंने जिन्दगी की सारी दिक्कतें जो एक मजदूर को गांव में होती हैं, जो उसकी तकलीफ होती है और उसको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, मैंने नजदीक से वे सारी दिक्कतें देखी हैं और मेरी चिंता का विाय है कि जल्दी से जल्दी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कोई कानून बने। एग्रीकल्चरल वर्कर्स की बात आप करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात आप करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वाॅं से लगातार कोशिश करने के बावजूद भी कितने राज्यों ने एग्रीकल्चरल वर्कर के लिए कानून बनाया। उन्होंने कहा कि आप बनाएं। हम इन एग्रीकल्चरल वर्कर्स को असंगठित क्षेत्र में शामिल करके उस पर कानून बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हमने बिल में शामिल किया है। अलग से भी जो आपने बात कही, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कितने राज्यों ने उसके ऊपर काम करना प्रारम्भ किया, मुश्किल से तीन-चार राज्यों ने अभी तक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लाभ देना प्रारम्भ किया है, बाकियों ने नहीं किया है। उनकी बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि मैंने गहन अध्ययन किया है कि रास्ते निकाले जा सकते हैं। इस तबके के लोगों को, गरीब लोगों को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के रास्ते निकाले जा सकते हैं। मैं महसूस करता हूं कि देश में आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहां 40 करोड़ वर्क फोर्स में से 37 करोड़ लोगों को हम सामाजिक सुरक्षा नहीं देते हों, इससे बड़ी तकलीफ की बात और दूसरी नहीं हो सकती, इससे बड़ी समस्या और कोई दूसरी नहीं हो सकती। संगठित क्षेत्र के जो तीन करोड़ लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि असंगठित क्षेत्र के 37 करोड़ जो लोग हैं, वे उनसे बारह गुना हैं, उनके लिए कुछ नहीं हैं। वे इस देश की आबादी का अस्सी प्रतिशत है। These thirty seven crore bread-earners, workforce comprise of 80 per cent population of this country. मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बिल में कहीं कोई मैं कहूं कि बारह प्रतिशत ब्याज की बात कही गई। ठीक है, उनकी इच्छा है कि 12 प्रतिशत मिले लेकिन आप जानते हैं कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए, इसमें 12 प्रतिशत जितना मिलता है, हम इंवेस्ट करते हैं। बैस्ट पॉसिबिल इंवेस्टमेंट करते हैं, पैनल्टीज भी जो लेते हैं, वह भी इसमें जोड़ते हैं तब हम वर्कर को दे पाते हैं। इसलिए मेनटेन कर रहे हैं, ससटेन कर रहे हैं और मेरी कोशिश है कि उसके और क्या-क्या उपयोग हो सकते हैं, उस पैसे का और क्या सदुपयोग हो सकता है। मैंने सिंगापुर की स्टडी की है कि किस तरह से प्रोवीडेंट फंड को उन्होंने हाउसिंग में इंवेस्ट किया है। किस तरह से पैसा इकट्ठा करके वर्कर्स को अधिक से अधिक दिया है। ये सब चीजें हमारे ध्यान में हैं। इस वक्त असंगठित क्षेत्र को चार चीजें देनी हैं, जैसे मैडिकल फैसिलिटीज देना, कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसमें अगर किसी की मौत हो जाए तो पैसा देना, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का इन्तजाम करना, बुढ़ापे के लिए पेंशन का इन्तजाम करना हमारी सरकार का संकल्प है कि जितना भी जल्दी हो सकेगा, हम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये चार-पांच चीजें देने का प्रयास करेंगे।

आपको जानकारी होगी कि अभी 14 जुलाई को माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसी सैक्टर के लोगों के लिए एक मैडिकल स्कीम लांच की है। उस मैडिकल स्कीम के साथ जिसमें केवल पांच लोगों के परिवारों को केवल 548 रुपया देना है और उस 548 रुपये में और अगर 600 बीपीएल के लोग हैं तो 448 रुपया देना है और उसमें जनश्री में जोड़ दें तो ज्यादा से ज्यादा 548 रुपया देना है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस 548 रुपये में अगर कोई ऑरगेनाइज करना वाला हो क्योंकि वॉलन्ट्री स्कीम है, किसी न किसी को ऑरगेनाइज करना पड़ेगा, मजदूर संघों को ही ऑरगेनाइज करना पड़ेगा, किसी एनजीओ को ऑरगेनाइज करना पड़ेगा तो इतने पैसे में हम उनको तीस हजार रुपये का हॉस्पिटेलाइजेशन का एक्सपेंसेजे रीइम्बर्स कर सकते हैं।

थोड़ा-बहुत नहीं है, पूरे 30,000 रुपए तक का है। जितने दिन वह बीमार रहेगा, अगर साल में 15 दिन भी बीमार रहता है तो भी उसको 50 रुपए रोज के हिसाब से 750 रुपए नकद वापस देंगे। इस तरह से देखा जाए तो वह दे रहा है 548 रुपए और उसको मिलेंगे 750 रुपए। उसके अलावा हास्पिटेलाइजेशन के 30,000 रुपए का खर्चा अलग है। इसके अलावा 75,000 रुपए का इंशोरेंस भी है। इसके अलावा अगर उनके बच्चे नौवीं, दसवीं या ग्यारहवीं में पढ़ते हैं तो उनको दो बच्चों तक 200 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अब सवाल यह है कि इसको करे कौन, सरकार तो जोर-जबर्दस्ती कर नहीं सकती। किसी के पास जाकर, उसको पकड़कर तो नहीं कह सकती कि तुम अपना हिस्सा दो, हम अपना हिस्सा देंगे और तुम इसमें शामिल हो जाओ। यह सब लोगों को करना पड़ेगा। कई ऐसी संस्थाएं हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को आर्गेनाइज्ड किया है। उनको पैसा देती हैं और पेंशन भी देती हैं। उनमें से एक संस्था सेवा भी है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस काम को कर रही हैं। अभी दिल्ली में एक संस्था ने कैम्प लगाया था और एक हजार असंगठित वर्करों को इस योजना में लाया गया। उनको रसीद दी, उनके प्रोविडेंट फंड के लिए यूनिक सोशल सिक्योरिटी नम्बर जो सबसे जरूरी है, वह दिया। पहले यह होता था कि कोई मजदूर कहीं दस दिन काम करता है, फिर दूसरी जगह जाकर बीस दिन काम करता है, तो उसका पैसा कटता था, वह जमा होता था, लेकिन मिल नहीं पाता था, क्योंकि नम्बर अलग-अलग हो जाते थे। इसलिए हमने एक यूनिक सोशल सिक्योरिटी नम्बर लागू किया, जो सारी जिंदगी उसके साथ रहेगा। उसी नम्बर से उसका एकाउंट होगा, उसकी पहचान होगी। वह पूरे देश में कहीं भी जाएगा, तो उसका पैसा उसको उपलब्ध हो जाएगा। पहले क्लेम के लिए छः-छः महीने तक लगते थे, अब हमने इसको ठीक करने की कोशिश की है। जोस साहब जानते हैं, बाकी सदस्यों को भी पता है। हम यह काम 30 दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारा बिजनेस प्रोसेस आफ इंजीनियरिंग का काम पूरा हो जाएगा, पूरे विभाग में यह उपलब्ध होने वाला है। हमें आशा है कि 31 मार्च, 2004 तक 50 लाख लोगों को इस तरह के कार्ड इश्यू कर दिए जाएंगे। यह चीज उसके पास जिंदगी भर रहेगी। जहां कहीं उसका पैसा कटेगा, उसके एकाउंट में चला जाएगा और उसको फायदा होगा।

मैं मानता हूं कि ई.एस.आई. में बहुत सारी कमियां हैं। मैं मानता हूं कि कई जगह डुअल एडमिनिस्ट्रेशन है। कहीं केन्द्र सरकार का है तो कहीं राज्य सरकार का है। उसका समाधान हम निकाल रहे हैं। कुछ सुधार भी किया है, लेकिन मैं उससे पूरी तरह से संतुट नहीं हूं। उस पर और काम करने की कोशिश कर रहे हैं।

कई माननीय सदस्यों ने ठेका पद्धति के बारे में जिक्र किया कि वह इस तरह से काम करती है कि उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। हम यह चाहते हैं कि ठेका पद्धति कहीं पर हो, कम से न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, वीकली आफ मिलना चाहिए। उसको सोशल सिक्योरिटी हो और मेडिकल स्कीम की व्यवस्था हो। अगर उसको हटाया जाता है तो रिट्रेंचमेंट का अलाऊंस मिले। ये जो पांच-छः चीजें ठेका पद्धति में जो काम करते हैं, उनके लिए होनी चाहिए।

मैं माननीय सदस्य की भावना से पूरी तरह से सहमत हूं और जो चिंताएं तथा जो विाय उन्होंने सदन में रखा है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इन पर चिंतित है और बहुत जल्दी इस बारे में एक बिल लेकर आपके सामने आएगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने इस संकल्प को वापस ले लें, इस विश्वास के साथ कि जो उनकी चिंताएं हैं, उनको दूर करने का हम प्रयत्न करेंगे।

SHRI A.C. JOS : Sir, one question with regard to the Building and Construction Workers' Act. It should be enforced in all the States.

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : जो चिंता माननीय सदस्य ने जाहिर की है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के साथ जल्दी ही बैठक करके जितनी जल्दी दे सकते हैं, देने की कोशिश करेंगे।

SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): Sir, my Resolution is also there. I should, at least, be permitted to move my Resolution.

सभापति महोदय : आप एक मिनट पहले अपनी बात समाप्त कर देना।

SHRI BASU DEB ACHARIA:Sir, how can I conclude within four minutes ? You kindly extend the time beyond 7 o"" clock so that Shri Suresh Kurup can also introduce his Resolution . You kindly extend the time by another 10-15 minutes, so that we will also be able to introduce his resolution. He will take only one minute.

Sir, I am grateful to all the Members who extended their support to my Resolution which is for 40 crore of our population. Sir, I expected that the Labour Minister would respond to some of the important points that I raised while moving this very important Resolution.

Sir, he has not touched upon those points. I referred to how the existing laws are being blatantly violated. There are a number of laws for taking care of the organised as well as the unorganised sectors. I have particularly referred to *beedi* workers. I have referred to the Supreme Court's judgment for introduction of Provident Fund scheme. I referred to one case of my district that out of 50,000 *beedi* workers, the Provident Fund scheme has been made applicable to only 17,500 *beedi* workers.

I referred to spending from the *Beedi* Workers Welfare Fund. Dr. Jatiya knows about it. I referred to his letter. He sanctioned a hospital for the *beedi* workers in my district; land was made available free of cost by the State Government, but till date no money has been released. While replying to a debate on the Demands for Grants of the Ministry of Labour, when I raised this point, he said that instead of sanctioning a TB hospital for *beedi* workers, he would consider setting up of an ESI hospital in the District of Purulia at Jhalda. I wanted to know how much fund is being collected out of *Beedi* Cess, and how much is being spent for the welfare of *beedi* workers. The money belongs to *Beedi* Workers Welfare Fund. The Ministry of Finance is directing or issuing guidelines that in future there will not be any TB hospital for *beedi* workers; even the existing hospitals will be handed over to the State Government or to NGOs. I have the letter with me, Mr. Minister, from the Secretary, Ministry of Labour. There is a proposal to even handover the hospital at Dhulia in the District of Murshidabad to an NGO. It is because the hospital is being managed out of the *Beedi* Workers Welfare Fund.

Then, Sir, I referred to the proposed Bill for unorganised labour. I referred to the suggestion made by almost all the Trade Unions starting from BMS to CITU. He has not responded. I was told that the Third Draft has been released and the Third Draft is even more retrograde than the Second and the First.

About moving my Resolution, a new dimension has come about in the form the latest Supreme Court judgment. Yesterday, I was listening to the interview and he very clearly stated that workers should have the right to go on strike, but not in all cases. You spoke very eloquently saying that this right is not a fundamental right. I think, it is an inalienable right of the workers. It is now being taken away. What is the stand of the Government on this?

19.00 hrs.

Will the Government bring a legislation to protect the rights of the workers? My Calling Attention could not be taken up today because of disorder in the House. I could have raised certain vital points on how, after disinvestment and after change of management, interests of the workers are affected and how the agreement is being violated.

I would like to know what the stand of the Government is. Will the Government bring a legislation? Will the workers have the right to collective bargaining, right to form associations? Right to form associations is a fundamental right. Right to go on strike is given to workers in the Industrial Disputes Act of 1947.

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो आईडी एक्ट

में है, वह आज भी बरकरार है। आईडी एक्ट के प्रोवीजन के मुताबिक लीगली वर्कर्स स्ट्राइक पर जा सकते हैं। आईडी एक्ट के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कैसे नोटिस देना होता है। इसमें कहीं भी पीछे हटने की बात नहीं है।

SHRI BASU DEB ACHARIA : But that is contrary to the judgement of the Supreme Court. That is contrary to what is there in the Industrial Disputes Act of 1947.

DR. SAHIB SINGH VERMA: Sir, he is playing with things. जितनी जानकारी आपको है, उतनी जानकारी मुझे नहीं है। आईडी एक्ट वर्कर्स के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में मामला तमिलनाडु राज्य से कर्मचारियों का मामला है, जो कन्डक्ट रूल्स से गवर्न होता है। वह अलग मामला है। दोनों से कन्फ्यूज न करें। आपको मेरे से ज्यादा मालूम है। अगर आप कुछ और कहना चाहें, तो अलग बात है।

श्री बसुदेव आचार्य : सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे हैं, तो to give this right to the workers and employees, to give the statutory dues of the workers, क्या आप कानून ला रहे हैं? Rs.2200 crore are now due.

इस बात की चर्चा नहीं की है कि कब तक चलेगा। आप इस बारे में बताइए?

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : मैंने अच्छी तरह से बता दिया है कि स्टैचुटरी ड्युज लेने के लिए हमने काफी सख्ती की है। लोग जेल जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमने काफी पैसा रिकवर किया है।

श्री बसुदेव आचार्य :मैं पूछना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स के सरकार के पास ड्युज हैं।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : उनके ऊपर सख्ती कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कहां कर रहे हैं। आप किस को जेल भेज रहे हैं, किस मंत्री को जेल भेज रहे हैं। कितना पैसा ग्रेच्युटी का और प्रोविडेंट फन्ड का बकाया है।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव जी, आप कृपया करके संकल्प वापिस लीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री जी आश्वासन दे दें कि जो-जो बातें कही गई हैं, उनपर आप विचार करेंगे और स्टेचुटरी ड्युज को आप जल्दी से जल्दी क्लीयर कर देंगे।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : उनको क्लीयर करने पर जरूर विचार करेंगे।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, since the Minister is giving an assurance that all the problems that I have mentioned would be favourably considered by the Government, I am prepared to withdraw my Resolution.

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Shri Basu Deb Acharia be withdrawn?

The resolution was, by leave, withdrawn.